

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2023—आश्विन 21, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2023

क्र. ई-1-171-2023-5-एक.—श्री जॉन किंग्सली ए. आर., भाप्रसे (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 18 से

29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 16, 17 एवं 30 सितम्बर 2023) तथा (01, 02 अक्टूबर 2023) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे (1995), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार), को तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

7913

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. ई-5-560-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2023 तक वाशिंगटन (यू. एस. ए.) की शासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2023 तक तीन दिन का एकसुईडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तथा प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997) एवं डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे (2006), दिये गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

एफ-1-3-2-0006-2023-सूअप्र-एक-9-663.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री विजय मनोहर तिवारी, मा. राज्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 2 से 8 अप्रैल, 2023 तक भोपाल से जम्मू एवं श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 4 एवं 6 अप्रैल, 2023 को दो दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य "10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का (प्रथमबार) लाभ दिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

एफ-1-3-2-0007-2023-सूअप्र-एक-9-666.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री राहुल सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 21 से 26 अप्रैल, 2023 तक भोपाल से गुरुद्वारा श्री गुरु डोंगमार साहिब, सिक्किम (NER) जाने हेतु चार वर्ष के एक कालखण्ड 2019 से 2023 की अनुज्ञेय एक गृह नगर एल. टी. सी. का NER एल. टी. सी. में Conversion करते हुए सह प्रयोज्य "10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4886-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी का तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी के पद से त्याग-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4938-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना को श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी

(सीनियर) की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2023 को होने के फलस्वरूप प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर के पद पर एतद्द्वारा, पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 4138-इक्कीस-ब-(दो)-2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री कृष्णकांत शर्मा, अतिरिक्त सचिव (संविदा) अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यकाल में दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि प्रदान करता है।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-90-सचिवालय योजना-(90 57)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-25-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

क्र. 16600-3229-इक्कीस-अ (स्था.)-गोप.-2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त स्टॉफ आफिसर, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः दिनांक 1 सितम्बर 2023 से विधि विभाग में स्टॉफ आफिसर के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017-एक-3, दिनांक 28 सितम्बर 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र. सी-5-1-2017-3-एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्र. 54 आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 920-आर-1132-23-बी-8-चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

क्र. 16601-3228-इक्कीस-अ (स्था.)-गोप.-2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017-एक-3, दिनांक 28 सितम्बर 2017

एवं संशोधित परिपत्र क्र. सी 5-1-2017-3-एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन, नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्र. 53 आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 922-आर-1134-23-बी-8-चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

शुद्धि-पत्र

क्र.एफ-3-02-2020-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020-तेरह, दिनांक 20 जनवरी 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट-1 में, कॉलम (2) में, क्रमांक 14(i) के सम्मुख शब्द एवं अंक "कसरावद-पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन" के स्थान पर शब्द एवं अंक "कसरावद-पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन" स्थापित किये जाये।

CORRIGENDUM

F. 3-02-2020-13.— The State Government, hereby, issues the following corrigendum in respect of this department's Notification F-3-02-2020-XIII, dated 20th January, 2023, namely :—

In the said Notification, in the Annexure, in column (2), against serial number 14(i), for the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCSS line", the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCDS line" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. एफ-1(सी) 3-2019-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अनुसूची के मद-“च-अन्य संस्थायें” में अनुक्रमांक 67 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये.

“68-मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग”

इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी.

No. F1(c) 3-2019-E-IV.—In exercise of powers conferred by the subsection (3) of section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973) the state Government, hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said schedule, after serial number 67 of the item “F other Local Bodies”, the following serial number and entries relating thereto shall be added namely :—

“68-MADHYA PRADESH BACKWARD CLASSES WELFARE COMMISSION”

Rate of the Audit fees of these bodies would be according to that fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. 1970-1351619-2023-ए-ग्यारह.—राज्य शासन को बाँयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34(2) के तहत बाँयलरों को बाँयलर अधिनियम, 1923 की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने की शक्तियां प्राप्त हैं. बाँयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 निम्नानुसार है :—

34(1).—इस धारा के अंतर्गत भवन को गरम रखने अथवा गर्म जल प्रदाय के लिए उपयोग आने वाले बाँयलरों को राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शर्तों के अधीन बाँयलर अधिनियम के उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.

34(2).—इस धारा के अंतर्गत आपातकाल में राज्य सरकार सामान्य/विशेष आदेश द्वारा किसी भी बाँयलर अथवा स्टीम पाइप लाइन को बाँयलर अधिनियम की किसी उपबंध अथवा उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.

34(3).—इस धारा के अंतर्गत यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि मटेरियल, डिजाइन अथवा कंस्ट्रक्शन के दृष्टि से बाँयलर बनाया गया है और यह देश के त्वरित औद्योगिकीकरण की आवश्यकता के लिए और यह करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जिसका उल्लेख विनियमन में है किसी भी बाँयलर अथवा उसके कम्पोनेन्ट को राज्य के किसी विशेष क्षेत्र अथवा सम्पूर्ण राज्य को बाँयलर अधिनियम के किसी उपबंध अथवा सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है.

(2) राज्य शासन एतद्द्वारा बायलर अधिनियम 1923 की धारा 34(2) के अंतर्गत राज्य शासन को प्राप्त अधिकार जिसके अंतर्गत सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने के अधिकार हैं को प्रवर्तन से छूट दिये जाने संबंधी शर्तों के अधीन संचालक बाँयलर को प्रत्यायोजित किये जाते हैं.

(3) प्रवर्तन से छूट दिये जाने वाले बायलरों की जानकारी से विभाग को भी सूचित किया जाये.

(4) यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल लागू हो जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्र. एफ-06-01-2020-अ-तेहत्तर.—मध्यप्रदेश एमएसएमई को मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2021 (यथा संशोधित अक्टूबर, 2022) के नियम 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न औद्योगिक क्षेत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	औद्योगिक क्षेत्र का नाम (2)	तहसील (3)	जिला (4)	कुल भूमि (हेक्टेयर में) (5)
1	औद्योगिक क्षेत्र, कनकी	लालबर्गा	बालाघाट	64.724
2	औद्योगिक क्षेत्र, टिकरिया तखला	कटनी	कटनी	19.52
3	औद्योगिक क्षेत्र, पटनाककरी	रहली	सागर	21.202
4	औद्योगिक क्षेत्र, मोही	मुलताई	बैतूल	21.69
5	औद्योगिक क्षेत्र, फर्नाखेड़ी	खाचरौद	उज्जैन	17.00
6	औद्योगिक क्षेत्र, गोगापुर	महिदपुर	उज्जैन	43.46
7	औद्योगिक क्षेत्र, आकली	सुसनेर	आगर मालवा	9.01
8	टाय क्लस्टर, बुधनी	बुधनी	सीहोर	6.00
9	औद्योगिक क्षेत्र, कनावटी	नीमच	नीमच	4.00
10	औद्योगिक क्षेत्र, मोरका	जावद	नीमच	5.54
11	औद्योगिक क्षेत्र, मातमूर	महेश्वर	खरगौन	49.826
12	औद्योगिक क्षेत्र, सनावद	सनावद	खरगौन	9.00
13	औद्योगिक क्षेत्र, नर्मदा रोड	बड़वाह	खरगौन	23.48
14	औद्योगिक क्षेत्र, घूमा	त्यौंथर	रीवा	56.835

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र. एफ SNT-9-00015-2023-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुपर कॉरिडोर इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-2-2011-56, दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :—

- मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50% भू-प्रबन्धाजी (रुपये 10 लाख प्रति एकड़) वापस की जावे.

2. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा. शासन द्वारा मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.
3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एम. पी. एस. ई. डी. सी.) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है.
4. यह आदेश मंत्रि-परिषद् समिति के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0193-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3467-टी सी-155-रतलाम-उपां-नग्रानि-2022, दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बंजली तहसील रतलाम नगर एवं जिला रतलाम.	284/1	3.00	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (आयुष ग्राम वेलनेस रिसोर्ट).

कुल रकबा 3.00

नोट —

1. प्रश्नाधीन भूमि हेतु विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 15,90,000/- मात्र (पन्द्रह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) के क्रमांक-051/9999999/0217/10/23/000049 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
3. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. एफ-12-17-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2785-2016 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. क्रमांक 3705-2023 (डायरी 41816-2022) में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुपालन में, वि. क. अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3225-टी सी-20-इंदौर-उपां-नग्रां-2023, दिनांक 11 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा इंदौर तहसील जूनी इंदौर जिला इंदौर.	1555, 1556, 1557, 1558/1 1558/2 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 (पार्ट), 1568, 1569 1570, 1571, 1572(पार्ट), 1573, 1574/मिन 2, 1575/मिन 2, 1576/मिन 2, 1579(पार्ट), 1580(पार्ट),	0.279 0.138 0.081 0.020 0.020 0.109 0.032 0.113 0.024 0.081 0.057 0.542 0.049 0.053 0.235 0.045 0.218 0.097 0.239 0.033 0.206 0.185 0.297	आमोद-प्रमोद के अंतर्गत रीजनल पार्क एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग
			कुल रकबा 3.153 (7.79 एकड़)		

नोट —

1. प्रश्नाधीन भूमि का प्रस्तावित आवासीय भूमि उपांतरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है.
2. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. एफ-11-06-2021-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-06-2021-तीस, दिनांक 10 जून 2021 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची								
राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	बड़ागांव (धसान)	खरे मुहल्ला बड़ागांव (धसान)	किला	पटवारी हल्का बड़ागांव (धसान) हल्का नम्बर-76 तहसील (धसान)	अनुमानित 0.800	-	नहीं

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. एफ 6-5-0002-2023-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 209-1027292-2022-तीस, दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची								
राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	धार	मनावर	ग्राम देवरा	प्राचीन शिव मंदिर	ग्राम-देवरा, प.ह.नं. 92 तहसील-मनावर जिला-धार (म. प्र.)	-	-	महाशिवरात्रि पर्व पर ग्रामवासी द्वारा अधिक संख्या में पूजा अर्चना की जाती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					सर्वे नं. 54	0.097 हे.	देवली शासकीय म. प्र. शासन	
					सर्वे नं. 55/1/1	0.008 हे.	निजी-नाहरसिंह पिता बापु जाति- भिलाला	
					सर्वे नं. 55/1/2	0.008 हे.	निजी-रतनसिंह पिता बापु जाति भिलाला	
					सर्वे नं. 55/2	0.016 हे.	निजी-रामसिंह पिता छितर, जाति भिलाला	
							पता-नि: ग्राम	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ 2-0008-2023-1-पैसठ.—राज्य शासन एतद्वारा, निजी भूमि पर विकसित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं, की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जावेगी.

- (1) 20 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 1.50 करोड़;
 - (2) 20 एकड़ से अधिक 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 3.00 करोड़;
 - (3) 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 करोड़.
2. उक्त से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना राज्य साधिकार समिति से अनुमोदित कराई जावे.
3. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

संशोधन

क्र. 2014-आर-1629884-2023-दस-3.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2023 एवं प्रकाशन दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के हिन्दी संस्करण में तहसील—जुन्नारदेव के स्थान पर तहसील—खण्डवा पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

धार वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 407-नगानि-वि.यो.-धार-2023.—एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 29 ग्राम निम्नानुसार है :—

तहसील-धार, जिला धार.

1. आथर	2. मतलबपुरा	3. आमखेडा	4. मालीवाडा
5. शाहपुरा	6. खानपुरा	7. रतनागरा	8. मगजपुरा
9. खाना कपुरी	10. इस्लामपुरा	11. नवगांव बुर्जुग	12. जेतपुरा
13. देलमी	14. तोरनोद	15. खिलचीपुरा	16. तिरला
17. बगडिया	18. पडल्या	19. ज्ञानपुरा	20. धरावरा
21. हिम्मतगढ़	22. उत्तरसी	23. उटावद	24. सीतापट
25. माफीपुरा	26. मुसापुरा	27. नियामतखेडी	28. चिखल्या
29. बगडीतुर्क			

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :—

1. सभागायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला धार
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धार
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय (कलेक्टर परिसर), धार

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत करें.

सुनील जॉन मिंज, सहायक संचालक.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2023

क्र. गन्ना-एस-3-ग.वि.प.-2023-24-1611.—मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभावशील होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 5(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. सेलवेन्द्रन, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, अधिसूचना क्रमांक गन्ना-एस-3-ग.वि.प.-2020-21-678, भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2021 द्वारा 10 जिलों में पुर्नगठित गन्ना परिषदों को तत्काल प्रभार से भंग करता हूँ.

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 5 की उपधारा 6(इ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संबंधित 10 जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को गन्ना विकास परिषदों के पुर्नरचना होने तक परिषद् के कर्तव्यों, शक्तियां तथा कार्य किये जाने, प्रयोग में लाये जाने एवं सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित करता हूँ.

एम. सेलवेन्द्रन, गन्ना आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. 3697-योजना-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4 भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर एतद्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सम्पन्न मन्दसौर जिला स्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित संस्थान का नामकरण कॉलम (3) के अनुसार किया जाता है :-

तालिका

क्र. (1)	संस्था (2)	नामकरण (3)
1	कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 15 सितम्बर 2023

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, क्रय आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 2546-भू-अर्जन-22-प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2023-24.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग सैलाना के अडवानिया सिंचाई तालाब निर्माण योजना" अन्तर्गत जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प. ह. नं. 17 के ग्राम ताजपुरिया के 03 खाताधारकों की वन पट्टे की भूमि समरपण एवं परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए/भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता का नाम (2)	वन अधिकार पत्र क्रमांक (3)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण (7)
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	
1	कालू पिता लालू, निवासी गोरधनपुरा	1704969	0.063	-	0.063	-
2	वागजी पिता फत्ता, निवासी गोरधनपुरा	1704968	0.293	-	0.293	-
3	वारजी पिता बाबू, निवासी गोरधनपुरा	1704967	0.199	-	0.199	-
योग . .					0.555	

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3118-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-44-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4413-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-4 में जल परिवहन हेतु ग्राम-उमरी, प.ह.नं.-54, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरी, प.ह.नं.- 54	844	0.070
			841	0.045
			809	0.033
			810	0.038
			667	0.003
			618/1	0.010
			621/5	0.013
			560	0.020
			558	0.008
			549/3	0.015
			548	0.018
			547	0.020
			506/2	0.015
			507	0.030
			514/2	0.030
			513	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	उमरी, प.ह.नं.- 54	512	0.005
			514/1	0.010
			516/1	0.005
			340	0.005
			339	0.020
			326	0.020
			320	0.015
			327	0.015
			314/2	0.010
			325	0.010
			321	0.035
			939	0.035
			959/2	0.030
			959/3	0.030
			958	0.030
			957	0.010
			956	0.025
			950	0.027
			338	0.008
			506/3	0.015
			516/2	0.014
			518/1	0.008
			549/2	0.010
			818/4	0.006
			योग . .	<u>0.781</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3121-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4260-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर आर. एम.-11 व एल. एम.-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-मोहनपुरा, प.ह.नं.-42, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	मोहनपुरा प.ह.नं.- 42	487	0.051
			488	0.036
			491	0.016
			493	0.053
			494	0.015
			471/1	0.013
			471/2	0.013
			470/3	0.008
			470/2	0.013
			469/1	0.015
			469/2	0.015
			468/4	0.015
			468/3	0.010
			447	0.014
			441/1	0.069
			417/1	0.040
			417/2	0.015
			415	0.035
			414	0.026
			413	0.022
			410/1	0.005
			410/2	0.057
			401/1	0.027
			399	0.013
			289/2	0.033
			289/3/3	0.024
			290	0.033
			269	0.090
			293	0.019
			266/2	0.028
			263/2	0.020
			266/1	0.028
			262/3	0.015
			258/1	0.027
			192/3	0.037
			200/2	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	मोहनपुरा	188/1	0.040
		प.ह.नं.- 42	187	0.014
			195	0.010
			184/4	0.008
			196	0.013
			182/2	0.021
			184/1	0.033
			184/3	0.030
			199/1	0.017
			199/2	0.018
			200/1	0.005
			200/3	0.008
			296	0.029
			304/5	0.019
			304/4	0.008
			304/3	0.013
			300	0.038
			301/1	0.020
			149/1	0.006
			151	0.008
			124	0.006
			110	0.003
			109/4	0.020
			108/4	0.018
			108/2	0.020
			109/3	0.030
			108/5	0.013
			108/6	0.013
			108/1	0.004
			107/1	0.023
			101/1	0.050
			101/2	0.050
			102	0.038
			योग . .	<u>1.621</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3124-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-47-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4398-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-गड़वाड़ी, प.ह.नं.-44, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	गड़वाड़ी	35/2	0.028
		प.ह.नं.- 44	36	0.050
			37	0.015
			68/1	0.015
			68/3	0.015
			69	0.022
			68/2	0.008
			70	0.013
			77/1	0.008
			77/2	0.007
			77/3	0.005
			78	0.020
			117/1	0.035
			117/2	0.007
			133/1	0.023
	133/3	0.028		
	132	0.044		
	योग		0.343	

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3127-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-45-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4408-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं डी. एम.-3 पाईप नहर तथा डी. सी. 1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम.-7 में जल परिवहन हेतु ग्राम-छोटी खरडू, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	छोटी खरडू,	12	0.029
		प.ह.नं.- 35	11	0.001
			15	0.057
			14/2	0.057
			4	0.010
			18	0.020
			2/3	0.016
			2/2	0.015
			1/2	0.006
			1/1	0.006
			13	0.035
			14/1	0.020
			7/1	0.003
			6/1	0.041
			5	0.016
			219	0.030
			213	0.015
	211	0.005		
	212	0.030		
	199	0.015		
	200	0.003		
	180	0.039		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35	201	0.028
			197	0.019
			192	0.005
			188	0.005
			191	0.013
			185/3	0.008
			185/2	0.005
			183	0.035
			179	0.010
			योग . .	<u>0.597</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3130-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-10-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4240-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटी खरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.नं.-45, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	श्यामपुरा, प.ह.नं.- 45	165	0.033
			162	0.027
			160	0.035
			3/1	0.043
			161	0.011
			131/1	0.039
			133/1	0.017
			63/3	0.018
			63/2	0.008
			67/2	0.020
			64/2	0.058

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	श्यामपुरा, प.ह.नं.-45	65 67/1 9 8 2	0.058 0.019 0.021 0.034 0.023
				योग . . . <u>0.464</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3133-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-12-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4230-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नरसिंगपुरा, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नरसिंगपुरा, प.ह.नं.- 46	182 47 46 45/2 50 51 31/3 55/2 30 32 33 26 20/3 20/2	0.012 0.066 0.009 0.039 0.032 0.016 0.017 0.021 0.034 0.025 0.004 0.019 0.010 0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नरसिंगपुरा, प.ह.नं.- 46	20/1	0.032
			16/2	0.005
			15/1	0.013
			11/1	0.010
			15/2	0.013
			10/1	0.005
			योग	<u>0.402</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3136-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-09-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4245-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35	224/3	0.005
			225/6	0.004
			223/1	0.004
			223/2	0.010
			223/3	0.049
			222	0.020
			220	0.020
			218	0.005
			219	0.025
			210/6	0.005
			211	0.017
			208	0.014
			209	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35	205	0.023
			79	0.017
			80	0.029
			46	0.048
			71	0.039
			52	0.030
			10	0.023
			11	0.018
				योग . . . 0.429

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3141-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-49-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4388-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-छोटी खरडू, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35	11	0.005
			16	0.035
			15	0.008
			17/1	0.076
			17/2	0.006
			17/3	0.002
			19/1	0.034
				योग . . . 0.166

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3144-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-50-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4383-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं डी. सी.-1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम.-7 में जल परिवहन हेतु ग्राम-झकेला, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	झकेला, प.ह.नं.- 35	372	0.020
			375	0.040
			386	0.024
			385	0.038
			384	0.003
			388	0.043
			350	0.008
			392	0.026
			394/1	0.008
			393	0.018
			338	0.005
			435	0.023
			321/2	0.020
			436/1	0.010
			315	0.018
			436/2	0.010
			316	0.038
			202	0.039
			207	0.010
			206	0.065
			208	0.015
			209	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	झकेला, प.ह.नं.- 35	210	0.020
			247	0.010
			250	0.013
			252	0.025
			253	0.024
			255	0.045
			232	0.013
			231	0.026
			988	0.009
			998	0.008
			997	0.013
			995	0.005
			996	0.045
			994	0.008
			योग . .	<u>0.785</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3147-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-15-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4215-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरड, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-वलोल्ला, प.ह.नं.-41, रा. नि. मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	वलोल्ला, प.ह.नं.- 41	710/4	0.005
			710/1	0.036
			710/3	0.033
			709	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	वल्लोला, प.ह.नं.- 41	710/2 710/5 725 691 695	0.004 0.006 0.093 0.030 0.040 <u>योग . . . 0.255</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3150-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-16-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4285-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-सुरीनाला, प.ह.नं.-08, रा.नि.मं.-02, उमरकोट, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	सुरीनाला प.ह.नं.- 08	94 96 91 55 57 18	0.025 0.084 0.010 0.080 0.005 0.030 <u>योग . . . 0.234</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3153-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4370-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुबेरपुरा, प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	कुबेरपुरा प.ह.नं.-34	308	0.010
			310	0.055
			312	0.020
			311	0.024
			301	0.013
			158	0.005
			151	0.015
			150	0.010
			149	0.055
			148	0.080
			155	0.025
			157	0.025
			175	0.028
			174	0.015
			179	0.015
			178	0.058
			116	0.034
			117	0.045
101	0.038			
112	0.033			
111	0.008			
106	0.035			
			योग . .	<u>0.646</u>

प्ररूप "घ" (नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3156-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4365-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम-रातीमाली, प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
झाबुआ	रामा	रातीमाली, प.ह.नं.-34	437	0.030			
			436	0.022			
			435	0.092			
			414	0.014			
			413	0.026			
			434	0.055			
			431	0.024			
			416	0.030			
			433	0.093			
			417	0.016			
			86	0.040			
			73	0.010			
			409	0.008			
						योग . .	<u>0.460</u>

प्ररूप "घ" (नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3159-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-42-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4423-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-7 में जल परिवहन हेतु ग्राम-जिरावदिया, प.ह.नं.-35, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	जिरावदिया, प.ह.नं.-35	25	0.070
			27/1	0.005
			20/4	0.020
			20/3	0.005
			20/2	0.005
			18	0.015
			16	0.025
			15	0.005
			10	0.070
			6	0.002
			38	0.060
			योग . .	0.282

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3162-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-36-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4355-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नरसिंगपुरा, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नरसिंगपुरा प.ह.नं.-46	509	0.043
			496	0.015
			474/2	0.034
			474/1	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नरसिंगपुरा	475	0.020
		प.ह.नं.-46	473	0.029
			472	0.023
			466	0.026
			469/1/1	0.033
			464/1	0.027
			463/5	0.006
			463/4	0.006
			463/3	0.006
			463/2	0.006
			463/1	0.006
			435	0.028
			434	0.040
			431	0.020
			448	0.005
			योग . .	<u>0.384</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3165-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-37-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4350-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नरसिंहरुण्डा, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नरसिंहरुण्डा, प.ह.नं.-26	42	0.006
			43	0.006
			41	0.022
			40	0.030
			51/2	0.028
			37	0.028
			35	0.040
			34	0.010
			योग . .	<u>0.170</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3168-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-14-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4220-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.नं.-46, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नवापाड़ा, प.ह.नं.- 46	272	0.010
			270/1	0.008
			253/2	0.005
			261/2	0.030
			261/1	0.005
			262	0.005
			260	0.020
			253/5	0.019
			259	0.015
			255/2	0.041
			253/1	0.018
			253/4	0.018
			182	0.045
			187/2	0.050
			189/2	0.020
			168/1	0.015
			166/5	0.015
			166/6	0.010
			162/3	0.012
			157/3	0.010
			157/1	0.025
			210/1	0014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	नवापाड़ा, प.ह.नं.- 46	36	0.030
			38	0.073
			40	0.005
			27	0.019
			25	0.034
			24	0.025
			26	0.003
			20/5	0.020
			18/2	0.015
			20/3	0.009
			20/1	0.030
			22/1	0.015
			17	0.020
			18/3	0.015
			6/2	0.036
			6/1	0.026
			5	0.033
			2	0.024
			योग . .	<u>0.842</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3171-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-13-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4225-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 एवं आई. बी. पी. टी.-1 से आई. बी. पी. टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	दौलतपुरा, प.ह.नं.-50	1027	0.028
			583	0.046
			1028/1	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	दौलतपुरा, प.ह.नं.-50	585	0.059
			586	0.037
			587	0.040
			514	0.015
			489	0.035
			488	0.075
			481	0.037
			480	0.045
			384	0.008
			204	0.015
			386/11	0.018
			386/10	0.015
			386/9	0.018
			201	0.022
			200	0.039
			196/2	0.023
			196/1	0.020
			100/4	0.012
			100/3	0.010
			101	0.015
			102	0.015
			103	0.032
			90	0.024
			908	0.008
			89/4	0.002
			910/5	0.010
			89/2	0.009
			89/3	0.008
			910/1	0.009
			89/1	0.007
			87	0.017
			993	0.052
			53/1	0.040
			991/1	0.047
			54/3	0.005
			12	0.024
			10/1	0.017
			54/2	0.034
			11	0.038
			54/1	0.003
			55/6	0.013
			10/2	0.017
			55/1	0.009
			55/5	0.013
			46/5	0.004
			44	0.041
			1000	0.024
			990	0.041
			991/2	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	दौलतपुरा, प.ह.नं.-50	984	0.049
			985	0.045
			634	0.044
			909	0.029
			910/6	0.019
			910/4	0.009
			910/3	0.010
			910/2	0.006
			631	0.019
			632	0.005
			659	0.030
			660	0.021
			661/2	0.005
			663	0.007
			665	0.055
			341/1	0.014
			340/5	0.027
			667/2	0.009
			667/1	0.011
			338	0.026
			308	0.042
			306	0.056
			303/1	0.027
			302/1	0.027
			301/1	0.020
			301/2	0.010
			289/1	0.010
			289/2	0.023
			295	0.037
			योग . .	<u>1.926</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3174-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-11-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4235-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-पारा, प.ह.नं.-44, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	पारा, प.ह.नं.-44	562/3	0.034
			562/2	0.015
			556/2	0.015
			558	0.030
			559	0.005
			560/2	0.005
			557/3	0.020
			557/2	0.006
			556/1	0.020
			522/1	0.023
			524/2/1	0.010
			513	0.016
			514	0.040
			495	0.027
			515	0.037
			494	0.009
			493	0.033
			516	0.035
			479	0.045
			योग . .	<u>0.425</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3177-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-35-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4360-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 (ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-50, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी.-1 (ग्राम-छोटीखरडू, प.ह.नं.-35, तहसील-रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-लखपुरा, प.ह.नं.-44, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	लखपुरा, प.ह.नं.-44	46 47/1	0.025 0.035
योग . .				<u>0.060</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3183-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-38-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4345-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-काकडकुआं, प.ह.नं.-07, रा.नि.मं.-02, उमरकोट, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	काकडकुआं प.ह.नं.-07	173 158 157 113 112 81/4 81/3 84/1 27 31 28/4 38/3 36 38/1	0.025 0.054 0.040 0.033 0.024 0.011 0.059 0.017 0.011 0.103 0.043 0.050 0.014 0.064
योग . .				<u>0.548</u>

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3180-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4375-री-1-भू-अर्जन-2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-वागनेरा, प.ह.नं.-23, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	रामा	वागनेरा,	463	0.016
		प.ह.नं.-23	471	0.012
			490/5	0.035
			437	0.006
			351/1	0.023
			338	0.058
			334/2	0.025
		योग . .	<u>0.175</u>	

एच. एस. विश्वकर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. 6422-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-नौलाझिर प.ह.नं.-32 ब.न.-146 रा.नि.मं.- चांद.	रकबा-01.072 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस-9 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 6423-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-31-221, भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-सारोठ प.ह.नं.-30 ब.न.-554 रा.नि.मं.- सांवरी.	रकबा-01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस-6 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

प्र. क्र. 578-RTC-23-भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	राजनगर	100.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 579-RTC-23 भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सुजानपुरा खास	5.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	सुजानपुरा तालाब योजना के स्पिल चैनल हेतु.

प्र. क्र. 580-RTC-23-भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सुजानपुरा खास	75.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 581-RTC-23-भू-अर्जन-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देवीनगर	5.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़.	सुजानपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 360-भू-अर्जन-2023

रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

प्रकरण क्रमांक 0016/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क्र-2 के कॉलम क्रं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	बरेली	बगलबाडा, दिमाडा प.ड.नं. 29 य.नि. मण्डल बरेली	कुल 4.040 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	असरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	92/1	1.133	0.080
2	अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	42/2	6.103	0.016
3	रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	89	1.805	0.040
4	विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	49	4.828	0.048
5	अमित आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	88/1	0.607	0.024
6	अरविंद सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	87/1	2.550	0.080
7	पूजादेवी पुत्री राजकुमार चर्फ रमेश जाति ब्राह्मण	86	0.356	0.072
8	अनिरुद्ध सिंह आ.विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	84	1.850	0.161
9	विशाल सिंह आ.सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	82/2	1.261	0.060
10	जेठमल आ.नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल कृष्ण ब्रमहचारी रायसेन	56	3.958	0.405

11	गुलाब सिंह आ. मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	54	0.413	0.048
12	सावित्री बाई पिता दुर्जन सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	53/1	2.255	0.064
13	लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	53/2	1.214	0.048
14	लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	53/3	1.214	0.048
15	कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	52	1.100	0.072
16	रामसिंह आ.हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	50/3	1.266	0.052
17	जगदीश सिंह आ.हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	50/2	1.266	0.028
18	जगदीश प्रसाद आ.रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ.हिरदेराम, ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी	44/2	1.951	0.405
19	कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	139	3.330	0.280
20	दुर्जन सिंह आ.प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	138/1	2.266	0.120
21	सालकराम आ.छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	137/1	1.072	0.240
योग			41.798	2.391
1	युद्धवीर आ.निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	432	0.470	0.032
2	दीपक ठाकुर आ.चन्द्रमान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/1/2/1	0.591	0.040
3	प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/1/2/2	0.510	0.040
4	सूरजबाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/2	1.850	0.040
5	भगवत सिंह आ.मेहरवान सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	434/1	0.849	0.018
6	अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	434/2	0.647	0.018
7	दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	443/1	0.641	0.040
8	हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि. बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पुर्विया 1/2 नि.बगलबाडा	443/2	0.642	0.040
9	रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/1	0.352	0.028
10	कोमल सिंह आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/2	0.344	0.028
11	भगवान सिंह आ.नन्दुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/3	0.348	0.028
12	प्रीती हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1/3 रोशनी हि.1/9 रामायणी हि.1/9 शिवानी हि.1/9 पुत्री मोहनलाल दुबे हि.1/9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	445	0.251	0.040
13	रमाकान्त आ.माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	446	0.247	0.108
14	राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	448	1.202	0.680
15	रमाकान्त आ.माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	456	0.348	0.060
16	रघुराज आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/1	0.765	0.025
17	कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/2	0.546	0.025
18	बद्रीप्रसाद आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/3	0.522	0.026
19	दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	459/1	0.481	0.024
20	हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि. बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पुर्विया 1/2 नि.बगलबाडा भूस्वा.	459/2	0.482	0.024
21	हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था)	460	0.279	0.020
22	ब्रजेश सिंह आ.दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	462/1/1	2.278	0.132
23	भगवत सिंह आ.दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	462/1/2	2.279	0.133
योग			16.928	1.649
बगलबाडा + दिमाडा = कुलयोग-			58.726	4.040

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सुजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवन्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आरोप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवन्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राज्य विभाग नेपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2023

प्रकरण क्रमांक 0016/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	बरेली	बगलबाडा, दिमाडा प.ड.नं. 29 य.नि. मण्डल बरेली	कुल 4.040 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	92/1	1.133	0.080
2	अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	42/2	6.103	0.016
3	रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	89	1.805	0.040
4	विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	49	4.828	0.048
5	अमित आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	88/1	0.607	0.024
6	अरविंद्र सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	87/1	2.550	0.080
7	पूजादेवी पुत्री राजकुमार उर्फ रमेश जाति ब्राह्मण	86	0.356	0.072
8	अनिरुद्ध सिंह आ.विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	84	1.850	0.161
9	विशाल सिंह आ.सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	82/2	1.261	0.060
10	जेठमल आ.नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल कृष्ण ब्रह्मचारी रायसेन	56	3.958	0.405

11	गुलाब सिंह आ. मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	54	0.413	0.048
12	सावित्री बाई पिता दुर्जन सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	53/1	2.255	0.064
13	लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	53/2	1.214	0.048
14	लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	53/3	1.214	0.048
15	कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी बगलबाडा	52	1.100	0.072
16	रामसिंह आ.हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	50/3	1.266	0.052
17	जगदीश सिंह आ.हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	50/2	1.266	0.028
18	जगदीश प्रसाद आ.रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ.हिरदेराम, ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी	44/2	1.951	0.405
19	कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	139	3.330	0.280
20	दुर्जन सिंह आ.प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	138/1	2.266	0.120
21	सालकराम आ.छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा	137/1	1.072	0.240
योग			41.798	2.391
1	युद्धवीर आ.निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	432	0.470	0.032
2	दीपक ठाकुर आ.चन्द्रमान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/1/2/1	0.591	0.040
3	प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/1/2/2	0.510	0.040
4	सूरजबाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	433/2	1.850	0.040
5	भगवत सिंह आ.मेहरवान सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी, दिमाडा	434/1	0.849	0.018
6	अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	434/2	0.647	0.018
7	दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	443/1	0.641	0.040
8	हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि. बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पुर्विया 1/2 नि.बगलबाडा	443/2	0.642	0.040
9	रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/1	0.352	0.028
10	कोमल सिंह आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/2	0.344	0.028
11	भगवान सिंह आ.नन्दुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	444/3	0.348	0.028
12	प्रीती हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1/3 रोशनी हि.1/9 रामायणी हि.1/9 शिवानी हि.1/9 पुत्री मोहनलाल दुबे हि.1/9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	445	0.251	0.040
13	रमाकान्त आ.माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	446	0.247	0.108
14	राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	448	1.202	0.680
15	रमाकान्त आ.माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	456	0.348	0.060
16	रघुराज आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/1	0.765	0.025
17	कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/2	0.546	0.025
18	बद्रीप्रसाद आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	458/3	0.522	0.026
19	दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	459/1	0.481	0.024
20	हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि. बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पुर्विया 1/2 नि.बगलबाडा भू.स्वा.	459/2	0.482	0.024
21	हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था)	460	0.279	0.020
22	ब्रजेश सिंह आ.दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	462/1/1	2.278	0.132
23	भगवत सिंह आ.दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा	462/1/2	2.279	0.133
योग			16.928	1.649
बगलबाडा + दिमाडा = कुलयोग-			58.726	4.040

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 07-अ-82-22-23-भू-अर्जन-2023-8042

सागर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : खुरई
3. ग्राम : दलपतपुर मालगुजारी
4. पट.ह.नं.- : 38
5. अजित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल : 3707.332 वर्ग.मी.

:: अनुसूची ::

डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे.में	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 38 के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	क्या धारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में लगातार निवास हे अथवा नहीं
					झोपड़ी/कच्चा कब्र/टिनरोड/पक्का गट्टर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शासकीय आबादी	117/1	1.870	लाडो पति उमेद सौर	छत लकड़ी का टपरा, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा,	9.610	निरक	है
					पक्का शौचालय	1.440		
2					निरक	0.000	पूरन पिता उमेद आदियासी	है
					योग :-	11.050		

3	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रज्जन पिता उमेद सौर	छत लकड़ी+पाटे, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	20.140	निरंक	है
					छत टीन+लकड़ी	8.680		
					योग :-	28.820		
4	शासकीय आबादी	117/1	1.870	संतोष पिता उमेद सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)	18.800	निरंक	है
					योग :-	18.800		
5	शासकीय आबादी	117/1	1.870	शारदा पति पप्पू सौर	छत गाटर+फर्शी, दीवार ईट+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)	15.840	निरंक	है
					योग :-	15.840		
6	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रानी पति लक्खू आदिवासी	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार ईट+मिट्टी की, (आवासीय टपरा)	9.570	निरंक	है
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	11.010		
7	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गोविन्द पिता खचोरा सौर	छत पत्थर की पाटे, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय)	17.480	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी	12.920		
					जीना	2.720		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	34.560		
8	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी	छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईट मिट्टी की, फर्श पक्का(आवासीय)	18.960	निरंक	है
					दहलान खण्डर	50.875		
					योग :-	69.835		
9	शासकीय आबादी	117/1	1.870	बबलू पिता अमोल आदिवासी	छत लकड़ी+पन्नी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	18.200	निरंक	है
					योग :-	18.200		
10	शासकीय आबादी	117/1	1.870	अमोल पिता सुक्के आदिवासी	छत लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा(आवासीय)	14.000	निरंक	है
					छत खप्पर+लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा,	14.350		
					दहलान लकड़ी के खंभे, दीवार पत्थर की,	11.205		
					दीवार पत्थर+मिट्टी की, छत शेष	9.750		
					पक्का शौचालय	1.440		
11					निरंक	0.000	ब्रजेन्द्र पिता अमोल सौर	है
					योग :-	50.745		

12	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पर्वत पिता भूरे आदिवासी	छत सीमेंटशीट+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)	25.740	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी	15.180		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	42.360		
13	शासकीय आबादी	117/1	1.870	धनीराम पिता सुम्मे सौर	छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)	21.830	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी	15.930		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	39.200		
14	शासकीय आबादी	117/1	1.87	मुन्नीबाई पति उधम सौर	छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)	31.080	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	19.980		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	52.500		
15	शासकीय आबादी	117/1	1.870	लीला पिता सुम्मे सौर	छत खप्पर+मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)	20.520	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी, फर्श कच्चा	14.040		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	36.000		
16					निरंक	0.000	हरिराम पिता लीला सौर	है
17					निरंक	0.000	लाखन पिता लीला सौर	है
18	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामवती पति रामप्रसाद सौर	छत खप्पर+चदार, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)	15.770	निरंक	है
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	17.210		
19	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गनपत पिता जगन आदिवासी	छत, सीमेंटशीट +लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी की, फर्श कच्चा	17.640	निरंक	है
					छत शेष। दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा	21.700		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	40.780		
20					निरंक	0.000	सतोष पिता गनपत	है
					योग :-	40.780		

21	शासकीय आबादी	117/1	1.870	बतीबाई पति मुलू सौर	छत खप्पर+लकड़ी की, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	24.455	निरंक	है
					दहलान छत टीन	9.200		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	35.095		
22	शासकीय आबादी	117/1	1.870	1- रामसेवक पिता मुलू आदिवासी 2- हीराबाई पति हीरालाल	छत आर.सी.सी. पक्का, दीवार ईट सीमेंट की, फर्श कच्चा (आवासीय)	20.720	निरंक	है
					छत टीन+लकड़ी, फर्श कच्चा, (दहलान)	15.340		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	37.500		
23	शासकीय आबादी	117/1	1.870	शोभाराम पिता भवंर सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)	16.800	निरंक	है
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	18.240		
24	शासकीय आबादी	117/1	1.870	जगदीश पिता भवंर सौर	छत खप्पर+लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा,	22.713	निरंक	है
					छत खप्पर+लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा, (दहलान)	27.600		
					चबूतरा कच्चा	7.800		
					योग :-	58.113		
25	शासकीय आबादी	117/1	1.870	सुहागरानी पति भवंर सौर	छत पक्का आर.सी.सी. दीवार ईट+सीमेंट की, फर्श पक्का	14.400	निरंक	है
					शौचालय पक्का	1.440		
					योग :-	15.840		
26	शासकीय आबादी	117/1	1.870	दुरजन पिता मुलू सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	23.523	निरंक	है
					खण्डर	17.703		
					शौचालय पक्का	1.440		
27					निरंक	0.000	हरकिशन पिता दुरजन सौर	है
					योग :-	42.665		
28	शासकीय आबादी	117/1	1.870	नेतराम पिता रामलाल सौर	छत सीमेंटशीट+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	25.345	निरंक	है
					छत खप्पर दहलान	15.755		
					लकड़ी का टपरा	4.000		
29					निरंक	0.000	रामलाल पिता मुलू आदिवासी	है
					योग :-	45.100		

30	शासकीय आबादी	117/1	1.870	मुन्नी सौर पति परमानंद सौर	छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	29.428	निरंक	है
					छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की, दहलान	16.390		
					योग :-	45.818		
31	शासकीय आबादी	117/1	1.870	सुकालबाई पति भवर सौर	छत टीन+पत्थर की पाटे, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास)	31.460	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी दहलान	12.870		
32					शौचालय	1.440		
					निरंक	0.000	नंदू पिता भवर सौर	है
					योग :-	45.770		
33	शासकीय आबादी	117/1	1.870	लखन आदिवासी पिता बंबू आदिवासी	छत टीन+पन्नी की, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)	30.870	निरंक	है
					छत खप्पर+पन्नी की, दीवार पत्थर दहलान	11.280		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	43.590		
34	शासकीय आबादी	117/1	1.870	कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड	पी.एम.आवास छत फर्शी+गाटर+सीमेंट दीवार ईट की पक्की, फर्श पक्का (आवासीय)	21.590	निरंक	है
					छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा	9.350		
					छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा	15.410		
					छत सीमेंटशीट, दहलान	21.233		
					शौचालय	1.440		
					शौचालय	1.440		
					कुल योग :-	70.463		
35	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पप्पू पिता मुन्नालाल आदिवासी	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	28.058	निरंक	है
					छत लकड़ी पन्नी दहलान	13.545		
36					शौचालय	1.440		
					निरंक	0.000	सुनील पिता पप्पू आदिवासी	है
					योग :-	43.043		

37	शासकीय आबादी	117/1	1.870	हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी	(आवासीय) छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा	24.225	निरंक	है
					छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	10.150		
					पी.एम.आवास छत फर्शी+गाटर+सीमेंट, दीवार ईट की पक्की, फर्श पक्का	20.440		
					शौचालय	1.440		
38					निरंक	0.000	हरिसींग पिता हिम्मत सौर	है
					योग :-	56.255		
39	शासकीय आबादी	117/1	1.870	चंद्रेश पिता हिम्मतसींग सौर	छत टीन+पत्थर, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा,	20.187	निरंक	है
					योग :-	20.187		
40	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर	छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	22.680	निरंक	है
					पी.एम.आवास दीवार ईट की पक्की, फर्श पक्का	17.510		
					शौचालय	1.440		
41					निरंक	0.000	मोनसींग पिता गोपी सौर	है
					योग :-	41.630		
42	शासकीय आबादी	117/1	1.870	बूदाबाई पति मिश्रीलाल आदिवासी	स्टोररूम छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	6.698	निरंक	है
					जोना	2.138		
					मंदिर पक्का पत्थर की फर्शी का	1.625		
					योग :-	10.461		
43	शासकीय आबादी	117/1	1.870	बाबूलाल सौर पिता गोपी सौर	छत खप्पर+लकड़ी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	12.375	निरंक	है
					योग :-	12.375		
44	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर	छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा	20.460	निरंक	है
					योग :-	20.460		
45	शासकीय आबादी	117/1	1.870	विजय पिता भंवरलाल सौर	छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय	26.270	निरंक	है
					दहलान छत खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी	16.330		
					योग :-	42.600		

46	शासकीय आबादी	117/1	1.870	आजादरानी पिता जुगराज सौर	खण्डर, छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	15.878	निरंक	है
					पी.एम.आवास छत आर. सी.सी. दीवार ईट की, फर्श पक्का	17.940		
					दहलान लकड़ी का टपरा	11.760		
					योग :-	45.578		
47	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पार्वती पति दुर्गा सौर	छत नहीं है। दीवार ईट:मिट्टी की, फर्श कच्चा,	19.493	निरंक	है
					शौचालय	1.440		
					योग :-	20.933		
48	शासकीय आबादी	117/1	1.870	संतोष पिता दुर्गा सौर	दहलान छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी	12.880	निरंक	है
					छत खप्पर+पन्नी की, दीवार पत्थर रहवास	19.040		
					योग :-	31.920		
					49	शासकीय आबादी		
छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी,	26.825							
मकान पी.एम.आवास	17.420							
शौचालय	1.440							
50	निरंक	0.000	प्रानसींग पिता हरीराम	है				
51	निरंक	0.000	हमेन्द्र पिता हरीराम	है				
					योग :-	62.360		
52	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पर्वत पिता भंवर आदिवासी	छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	22.755	निरंक	है
					छत खप्पर+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	9.225		
					योग :-	31.980		
53	शासकीय आबादी	117/1	1.870	खिम्मा सौर पिता बबु सौर	आवासीय छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	30.420	निरंक	है
					दहलान छत पत्थर की फर्शी	13.400		
					छत लकड़ी+खप्पर दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	32.300		
					शौचालय	1.824		
					योग :-	77.944		

54	शासकीय आबादी	117/1	1.870	लीला पिता बबलू सौर	दहलान लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	12.480	निरंक	है
					आवासीय छत खप्पर+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा	14.430		
					योग :-	26.910		
55	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामकिशन पिता हरीसिंह सौर	आवासीय छत, लकड़ी+खप्परदीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	29.440	निरंक	है
					छत नहीं है। दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर	23.200		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	54.080		
56	शासकीय आबादी	117/1	1.870	मानकृवर पति जाहरसिंह आदिवासी	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय पक्का शौचालय	21.600	निरंक	है
						1.440		
					योग :-	23.040		
57	शासकीय आबादी	117/1	1.870	सुन्दर पिता परमानंद सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय	17.160	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय	11.440		
					योग :-	28.600		
58	शासकीय आबादी	117/1	1.870	घुन्नु आदिवासी पिता राम्पे सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय	11.840	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी दहलान	7.140		
					योग :-	18.980		
59	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामबाई पति रामप्रसाद सौर	मकान पी.एम.आवास छत फर्शी+गाटर, दीवार ईट की, फर्श कच्चा	17.768	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	13.600		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	32.808		
60	शासकीय आबादी	117/1	1.870	संदीप पिता खुराल सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	15.000	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	10.000		
					योग :-	25.000		

61	शासकीय आबादी	117/1	1.870	देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत	छत ए.सी.शीट, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा लकड़ी का टपरा	17.340 14.280	निरंक	है
					योग :-	31.620		
62	शासकीय आबादी	117/1	1.870	फूलसिंग पिता मानसिंह गौड़	पी.एम.आवास पक्का छत खप्पर+लकड़ी, फर्श कच्चा छत टीन+खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा, छत टीन+खप्पर छत टीन+खप्पर दहलान	17.250 9.310 32.400 16.835 10.658	निरंक	है
63					निरंक	0.000	देवीसिंग पिता फूलसिंग	है
64					निरंक	0.000	वीरसिंग पिता फूलसिंग	है
					योग :-	86.453		
65	शासकीय आबादी	117/1	1.870	कमल पिता सुकराम गौड़	छत टीन+खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास	18.200	निरंक	है
					योग :-	18.200		
66	शासकीय आबादी	117/1	1.870	चन्द्राबाई पति सुकराम गौड़	छत खप्पर+मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय) छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, पक्का शौचालय	17.670 15.390 1.440	निरंक	है
67					निरंक	0.000	श्यामकरण पिता सुखराम	है
					योग :-	34.500		
68	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पुरुषोत्तम पिता बलवंत सौर	छत खप्पर+पत्थर की फर्श, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा छत नहीं है। दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर शौचालय	27.520 9.600 1.440	निरंक	है
					योग :-	38.560		
69	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गुलाबबाई बेवा सूरज गौड़	छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, दहलान छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, दहलान पक्का शौचालय	38.700 29.700 46.250 1.440	निरंक	है
					योग :-	116.090		

70	शासकीय आबादी	117/1	1.870	नन्नु पिता कम्मोद सौर	छत खप्पर+पत्थर की फर्शी दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा आवासीय	25.840	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा	25.080		
					दहलान छत लकड़ी का टपरा	8.400		
					गौशाला छत लकड़ी+पन्नी,	12.740		
					पक्का शौचालय	1.440		
71					निरंक	0.000	हीरालाल पिता नन्नु	है
					योग :-	73.500		
72	शासकीय आबादी	117/1	1.870	धनसिंह पिता रमचे सौर	आवासीय छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	15.260	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	9.520		
					योग :-	24.780		
73	शासकीय आबादी	117/1	1.870	राजेन्द्र पिता कमल सौर	रहवास छत सीमेंटशीट, दीवार ईट+पत्थर की, फर्श कच्चा	17.000	निरंक	है
					लकड़ी का टपरा	8.160		
					योग :-	25.160		
74	शासकीय आबादी	117/1	1.870	निरन पिता कमल सौर	रहवास छत खप्पर+लकड़ी, दीवार ईट की, फर्श कच्चा,	15.050	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	9.675		
					जीना	1.350		
					दहलान छत लकड़ी+फर्शी	17.390		
					योग :-	43.465		
75	शासकीय आबादी	117/1	1.870	कमल पिता रतन आदिवासी	आवासीय छत, खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	23.010	निरंक	है
					दहलान छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा	14.750		
					पी.एम.आवास, छत गाटर+पत्थर की फर्शी, दीवार ईट की, फर्श कच्चा,	16.500		
					शौचालय	2.640		
76					निरंक	0.000	कमल सौर पिता कमल सौर	है
					योग :-	56.900		

77	शासकीय आबादी	117/1	1.870	मग्गो पति हरकिशन	आवासीय छत, खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	24.400	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी, दहलान	12.200		
					छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, पक्का शौचालय	31.540		
						1.440		
					योग :-	69.580		
78	शासकीय आबादी	117/1	1.870	अरविन्द पिता हरकिशन सौर	छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	32.680	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+खप्पर दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	17.480		
					योग :-	50.160		
79	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रतन पिता मंगल सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की, दहलान	13.115	निरंक	है
					रहवास छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की,	25.315		
					मकान पी.एम.आवास, छत फर्श+गाटर,, दीवार ईट की, फर्श कच्चा	13.330		
					शौचालय	1.440		
80					निरंक	0.000	नारान सौर पिता रतन सौर	है
					योग :-	53.200		
81	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गुलामबाई बेवा ग्यारसी	रहवास छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट की, फर्श कच्चा	15.840	निरंक	है
					छत लकड़ी+पन्नी दहलान	15.680		
					पी.एम.आवास, छत गाटर+पत्थर की फर्श, दीवार ईट की, फर्श कच्चा,	18.190		
					शौचालय	1.440		
82					निरंक	0.000	दयाचंद पिता ग्यारसी सौर	है
83					निरंक	0.000	कल्लू पिता ग्यारसी सौर	है
					योग :-	51.150		
84	शासकीय आबादी	117/1	1.870	नंदू पिता ग्यारसी सौर	छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	35.670	निरंक	है
					योग :-	35.670		

85	शासकीय आबादी	117/1	1.870	राजबाई पति बबू सौर	छत खप्पर+लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा	18.250	निरंक	है
					दहलान छत लकड़ी+पन्नी	20.000		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	39.690		
86	शासकीय चारागाह	94	2.410	सवालसिंह पिता मवलसिंह राजपूत	छत गाटर+पत्थर की फर्शी दीवार ईट की, फर्श पक्का कमरा	22.750	निरंक	है
					छत पत्थर की फर्शी+गाटर ईट की दीवार, फर्श पक्का रहवास	18.900		
					दुकान छत फर्शी+गाटर, दीवार ईट की, फर्श पक्का,	22.100		
					छत टीन+फर्शी दीवार पत्थर की, फर्श पक्का किचिन	11.400		
					छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईट की, फर्शी पक्का गौशाला	15.225		
					भोलेनाथ जी का मंदिर चबूतरा	4.800		
					पक्का शौचालय	3.600		
					87			
					योग :-	98.775		
88	शासकीय आबादी	117/1	1.870	खुशाल पिता भागीरथ सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	17.860	निरंक	नहीं
					छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान	8.740		
					शौचालय	1.440		
					योग :-	28.040		
89	शासकीय रास्ता	71	2.760	निर्मयासिंह पिता निरनसिंह यादव	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का	14.615	निरंक	नहीं
					छत, सीमेंटसीट+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का	13.825		
					योग :-	28.440		

90	शासकीय रास्ता	71	2.760	रामबाबू पिता पहाडसिंह यादव	छत टीन+लकड़ी,, दीवार ईट+मिट्टी,, फर्श पक्का	11.100	निरंक	नही
					छत, सीमेंटसीट+लकड़ी,, दीवार ईट+मिट्टी,, फर्श पक्का	10.500		
					योग :-	21.600		
91	शासकीय रास्ता	71	2.760	कृष्णकुमार पिता छत्तारसिंह ठाकुर	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी,, फर्श पक्का रहवास	15.263	निरंक	नही
					छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का दहलान	15.263		
					योग :-	30.525		
92	शासकीय रास्ता	71	2.760	रविशंकर पिता गनेशराम अहिरवार	छत सी.सी. पक्का, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श पक्का	15.580	निरंक	नही
					छत लकड़ी+पाटे, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श पक्का	13.530		
					योग :-	29.110		
93	शासकीय रास्ता	71	2.760	देवेन्द्र पिता हजारी अहिरवार	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा	24.120	निरंक	नही
					योग :-	24.120		
94	शासकीय रास्ता	71	2.760	1.भगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार 2. अनन्तराम पिता जालम अहिरवार	छत टीन+लकड़ी,दीवार ईट+पत्थर+मिट्टी,फर्श पक्का	70.850	निरंक	नही
					छत पत्थर की फर्शी दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का	17.515		
					छत सीमेंटशीट+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का	16.275		
					छत टीन+मकान, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श पक्का	24.840		
					योग :-	129.480		
95	शासकीय रास्ता	75/164	0.130	प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी	छत टीन+लकड़ी, दीवार लकड़ी के खंभे, फर्श कच्चा	12.070	निरंक	नही
					योग :-	12.070		
96	शासकीय रास्ता	75/164	0.130	पृथ्वीन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह कुर्मी	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट मिट्टी की, फर्श पक्का	11.055	निरंक	नही
					छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईट मिट्टी की, फर्श पक्का	6.030		
					योग :-	17.085		
97	शासकीय आबादी	117/1	1.870	लक्ष्मीबाई पति मुकेश राजपूत	छत पत्थर की पाटे+सी. सी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श सी.सी.	28.520	निरंक	नही
					योग :-	28.520		

98	शासकीय आबादी	117/1	1.870	सचिन पिता प्रकाश चंदेल	छत गाटर+फर्शी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श सी.सी.,	70.680	निरंक	नही
					छत टीन+लोहे के एंगल, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श पत्थर के पटिया,	39.770		
					योग :-	110.450		
99	शासकीय आबादी	117/1	1.870	मुन्ने खां चर्फ अब्दुल वाहिद पिता रज्जाक खां	छत टीनशेड+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा,	27.300	निरंक	नही
					छत, टीन+लकड़ी+पन्नी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा	16.380		
					दहलान कच्चा	31.360		
					योग :-	75.040		
100	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामू पिता उमैद सौर	खण्डर	22.400	निरंक	निवास योग्य नहीं
					योग :-	22.400		
101	शासकीय आबादी	117/1	1.870	प्रकाश पिता दिलीप सौर	मकान कच्चा क्षतिग्रस्त	14.880	निरंक	नही
					योग :-	14.880		
102	शासकीय आबादी	117/1	1.870	घनश्याम पिता मुलू सौर	छत खप्पर+लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय)	25.545	निरंक	नही
					छत लकड़ी+पन्नी+छत	13.755		
					योग :-	39.300		
103	शासकीय आबादी	117/1	1.870	रामलाल पिता मुलू आदिवासी	खण्डर, सिर्फ पत्थर, छत	8.370	निरंक	नही
					शौचालय पक्का	1.440		
					योग :-	9.810		
104	शासकीय आबादी	117/1	1.870	पुष्पेन्द्र दांगी पिता हाकमसिंग दांगी	छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श पत्थर की फर्शी	26.425	निरंक	नही
					छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी दहलान	17.743		
					योग :-	44.168		
105	शासकीय आबादी	117/1	1.870	तुलसीराम पिता बाबूलाल सौर	छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी	26.425	निरंक	नही
					छत नहीं है पत्थर की बाउंड्री (दहलान)	22.780		
					योग :-	49.205		
106	शासकीय आबादी	117/1	1.870	तुलई पिता बाबूलाल सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा,	20.655	निरंक	नही
					योग :-	20.655		

107	शासकीय आबादी	117/1	1.870	मीकम पिता मनीराम सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	10.730	निरंक	नही
					छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा	19.688		
					योग :-	30.418		
108	शासकीय आबादी	117/1	1.870	महेश पिता मिश्रीलाल सौर	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	26.070	निरंक	नही
					योग :-	26.070		
109	शासकीय आबादी	117/1	1.870	अकू पिता गुमान सौर	मकान कबेलू छप्पर	19.500	निरंक	नही
					लकड़ी का टपरा	11.520		
					पक्का शौचालय	1.440		
					योग :-	32.460		
110	शासकीय आबादी	117/1	1.870	कल्लो पति लल्लू	छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा, आवासीय	11.000	निरंक	नही
					छत लकड़ी+पन्नी दहलान	4.400		
					योग :-	15.400		
111	शासकीय आबादी	117/1	1.870	शिवराज पिता बल्ले सौर	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट की, फर्श कच्चा	18.910	निरंक	नही
					योग :-	18.910		
112	शासकीय आबादी	117/1	1.870	राजेन्द्रसिंह पिता श्रीरामसिंह दांगी	छत टीन+लकड़ी दीवार ईट+मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास)	14.820	निरंक	नही
					छत लकड़ी दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा गौशाला	14.820		
					योग :-	29.640		
113	शासकीय आबादी	117/1	1.870	गौतम पिता बुद्धे आदिवासी	छत पत्थर की फर्श+खप्पर, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	17.680	निरंक	नही
					योग :-	17.680		
114	शासकीय आबादी	117/1	1.870	नारायण पिता रामदीन गौड़	पी.एम.आवास छत गाटर+पत्थर की फर्श, दीवार ईट की, फर्श कच्चा,	21.000	निरंक	नही
					छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा	23.400		
					योग :-	44.400		
115	शासकीय आबादी	117/1	1.870	वीरन पिता जगन सिंह गौड़	छत सीमेंटशीट+लोहे पाइप, दीवार पत्थर की फर्श, फर्श पक्का आवासीय	33.600	निरंक	नही
					छत नहीं है पत्थर की बाजंडी (ऑगन)	51.240		
					योग :-	84.840		

116	शासकीय चारागाह	94	2.410	प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी	छत टीन+लकड़ी, दीवार ईट+मिट्टी, फर्श पक्का (दुकान आटा चक्की)	40.320	निरक	दुकान संचालित है
					दुकान दहलान छत लकड़ी+पन्नी	12.600		
					योग :-	52.920		
					बोग :-	3707.332		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गयी है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 49, 52, रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनातर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50*20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

3- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..०१./.../2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 12190-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा-11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कदवाल

तहसील गंधवानी, जिला - धार

कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	0.244	0.000	0.244
	योग	0.244	0.000	0.244

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

क मांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	आपसिंह रमलीबाई पिता नवलसिंह व धिचाबाईदेवा नवलसिंह पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार	52	0.209	0.000	0.209	0.104	0.000	0.104
2	नवलसिंह पिता रूपला जाति भिल पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	53	0.261	0.000	0.261	0.070	0.000	0.070
3	भगड़ा, सेकड़ा पिता वेस्ता जाति भिल पता नवासी ग्राम शासकीय संस्था	54	0.240	0.000	0.240	0.070	0.000	0.070
	कुल योग					0.244	0.000	0.244

प्र.क्र. 12192-भू-अर्जन-2023

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा-11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - रेहड़दा

तहसील गंधवानी, जिला - धार

कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	6.061	0.000	6.061
	योग	6.061	0.000	6.061

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण

क्रमांक	पट्टा धारक का नाम व पिता/पति का नाम	कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	ईडा पिता ज्ञानसिंह	172220999003 172220999001	0.892 0.895	0.000	0.892 0.895	0.04 0.505	0.000	0.04 0.505
2	सुकला पिता जिलू	172221024001	0.542	0.000	0.542	0.30	0.000	0.30
3	भंगू पिता जिलू	172203455001 172203455002	0.753 0.434	0.000	0.753 0.434	0.005 0.002	0.000	0.005 0.002
4	कालूसिंह पिता जिलू	172216093003 172216093002	0.185 0.387	0.000	0.185 0.387	0.006 0.005	0.000	0.006 0.005
5	बदा पिता जिलू	172221014004 172221014002	0.537 0.141	0.000	0.537 0.141	0.008 0.200	0.000	0.008 0.200
6	ज्ञानसिंह पिता खूमसिंह	172209205001	0.264	0.000	0.264	0.164	0.000	0.164
7	मोहबाई पति कमरू	NI47525800007	0.273	0.000	0.273	0.136	0.000	0.136
8	कालूसिंह पिता ज्ञानसिंह	172221016002 172221016001	0.398 0.121	0.000	0.398 0.121	0.130 0.030	0.000	0.130 0.030
9	रीघू पिता भुवान	172208655003	0.451	0.000	0.451	0.010	0.000	0.010
10	भलू पिता राघू	172225859001	1.747	0.000	1.747	0.010	0.000	0.010
11	चमरिया पिता नानका	172208650002 172208650001	1.029 0.874	0.000	1.029 0.874	0.100 0.100	0.000	0.100 0.100
12	समरू पिता ज्ञानसिंह	172221023002	0.553	0.000	0.553	0.04	0.000	0.04
13	मालसिंह पिता शंकर	172225823001	0.667	0.000	0.667	0.400	0.000	0.400
14	मुकेश पिता हगरिया	172225877001	0.729	0.000	0.729	0.15	0.000	0.15
15	पुमान पिता हगरिया	172208639001	1.021	0.000	1.021	0.0300	0.000	0.0300
16	उदिया पिता कुमार	172225829001	0.309	0.000	0.309	0.010	0.000	0.010
17	मडिया पिता कुमार	172225821001	0.245	0.000	0.245	0.010	0.000	0.010
18	कुमार पिता नानका	172225844001	0.359	0.000	0.359	0.010	0.000	0.010
19	डोंगरीया पिता सेवजी	172225846002 172225846001	0.575 1.452	0.000	0.575 1.452	0.020 0.200	0.000	0.020 0.200

20	रमेश पिता डोलरिया	172225916001	1.532	0.000	1.532	0.100	0.000	0.100
21	बेलका पिता हीर्मल	172225901001	0.507	0.000	0.507	0.050	0.000	0.050
22	कलसिंह पिता नानका	1722213233002	0.410	0.000	0.410	0.120	0.000	0.120
23	बेरसिंह पिता भुयान	172203433001	3.254	0.000	3.254	0.010	0.000	0.010
24	बेस्ता रामा	172221006001	1.082	0.000	1.082	0.060	0.000	0.060
25	जामसिंह पिता फत्तु	172223007001	0.221	0.000	0.221	0.050	0.000	0.050
26	फूलसिंह पिता कालु	172223855002	0.305	0.000	0.305	0.090	0.000	0.090
27	मगू पिता नानका	172203461001	0.770	0.000	0.770	0.500	0.000	0.500
28	पानु पति बागू	172221005001	3.117	0.000	3.117	0.060	0.000	0.060
29	दीपसिंह पिता इन्दरसिंह	172221004001	0.760	0.000	0.760	0.060	0.000	0.060
30	रुखडिया पिता नाथिया	172221018001	2.396	0.000	2.396	0.120	0.000	0.120
31	दिनेश पिता शंकर	172221025002	0.176	0.000	0.176	0.005	0.000	0.005
32	कवरसिंह पिता किशन	172221013001	0.497	0.000	0.497	0.05	0.000	0.05
33	गुलाब पिता दरियावसिंह	172202712001 172202712002	0.151 0.164	0.000 0.000	0.151 0.164	0.100 0.164	0.000 0.000	0.100 0.164
34	लालसिंह दरियाव	172216022001 172216022002	0.344 0.241	0.000 0.000	0.344 0.241	0.241 0.100	0.000 0.000	0.241 0.100
35	देवरा दरियावसिंह	172216021001 172216021002	0.470 0.171	0.000 0.000	0.470 0.171	0.08 0.10	0.000 0.000	0.08 0.10
36	कालुसिंह पिता जगनसिंह	172221012001	1.102	0.000	1.102	0.075	0.000	0.075
37	रुमालसिंह पिता कालुसिंह	172216023001	1.697	0.000	1.697	1.000	0.000	1.000
	योग		35.200	0.000	35.200	6.061	0.000	6.061

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 901-भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	रीवा (म0प्र0)	(ख) तहसील	हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम	चोरहटा	(घ) लगभग क्षेत्रफल	2.373 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
1	535/1/1	0.040
2	535/1/2	
3	535/1/3	
4	535/2	
5	536/1/1	0.036
6	536/1/2	
7	536/1/2	
8	536/2	
9	538/1	0.008
10	538/2	
11	538/3	
12	540/1/1	0.036
13	540/1/2	
14	540/1/3	

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
15	541	0.096
16	542/1	0.020
17	545/1	0.064
18	548	0.248
19	549	0.024
20	562/1	0.012
21	563/2/1	0.038
22	563/2/2	0.020
23	563/2/3	0.020
24	627/1	0.050
25	635/2	0.100
26	632/1/1	0.134
27	632/1/2	0.133
28	632/2	0.229
29	632/3	0.273
30	643/1	0.012
31	643/2	
32	643/3	
33	643/4	
34	643/5	
35	643/6	
36	643/7	
37	643/8	
38	652/1	0.014
39	653/1	0.036
40	653/2	0.020
41	654/3	0.052
42	654/3/1	0.055
43	654/3/1/1	0.050
44	654/3/1/2	0.050
45	654/3/2	0.052
46	654/3/3	0.052
47	654/4/1	0.044
48	669/1/1	0.325
49	669/1/2	
50	669/1/3	
51	1206/668	0.030
कुल योग- 51 किता रकवा 2.373 हे०		

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 899-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	रीवा (म0प्र0)	(ख) तहसील	हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम	चोरहटी	(घ) लगभग क्षेत्रफल	2.117 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
1	153/3	0.390
2	153/4	0.141
3	160/1/2	0.202
4	160/2/2	0.030
5	163/1/2	0.040
6	163/1/3	0.576
7	170	0.162
8	173/4/1	0.080
9	173/6	0.036
10	173/7	0.132
11	174	0.018
12	175/1	0.030
13	197	0.070
14	200/1	0.144
15	200/2/1/2	0.020
16	204/2	0.012
17	209/2/2	0.030
18	218/2	0.004
कुल योग- 18 किता रकवा 2.117 हे0		

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 903-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	रीवा (M0प्र0)	(ख) तहसील	हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम	पतेरी	(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.036 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	27	0.016
2	29	0.020
कुल योग- 02 किता रकवा 0.036 हे0		

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 905-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	रीवा (म0प्र0)	(ख) तहसील	हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम	उमरी	(घ) लगभग क्षेत्रफल	3.664 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	312/6	0.056
2	305/1/2	0.055
3	312/10	0.015
4	154/1/1/1	0.022
5	154/1/6	0.010
6	316	0.004
7	309/1	0.957
8	309/7/1/1/1/1/2	0.018
9	309/7/1/1/1/1/3	0.018
10	385/3	0.092
11	386/3	0.029
12	325/1	0.042
13	325/2	0.042
14	363/2	0.060

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे० में)
15	312/11	0.063
16	361/1/3	0.070
17	312/1	0.012
18	312/9	0.017
19	361/2	0.203
20	362/2	0.024
21	359/2	0.202
22	385/1	0.092
23	312/4	0.012
24	312/7	0.015
25	361/1/1	0.070
26	312/5	0.072
27	309/7/1/1/1/2	0.033
28	302/2/1	0.020
29	309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.101
30	309/7/1/1/1/1/1/1/2	0.018
31	309/7/1/1/1/1/1/1/2	0.018
32	309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.1155
33	309/7/1/1/1/1/1/1/1/2	0.018
34	312/2	0.001
35	359/1	0.051
36	319/1	0.051
37	312/3	0.012
38	312/8	0.016
39	357/2	0.014
40	302/1	0.020
41	385/2	0.092
42	159/1/2/2	0.018
43	309/7/1/1/1/1/4	0.018
44	342	0.514
45	304/1/1	0.013
46	361/1/4	0.070
47	336/1	0.004
48	361/1/2	0.070
49	363/1	0.089
50	384	0.016
कुल योग- 49 कित्ता रकवा 3.664 हे०		

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 907-भू-अर्जन-2023

**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला	रीवा (म0प्र0)	(ख) तहसील	हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम	अगडाल	(घ) लगभग क्षेत्रफल	1.789 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	748/2/1	0.275
2	748/2/2	0.053
3	720/1	0.002
4	768/1	0.081
5	768/2	0.165
6	768/3	0.065
7	768/4	0.275
8	768/5	0.417
9	786/6	0.280
10	710	0.012
11	715/1	0.023
12	715/2	0.023
13	715/3	0.023

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे० में)
14	727/1/1	0.002
15	731	0.093
कुल योग- 15 किता रकवा 1.789 हे०		

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1471-भू-अर्जन-23

सतना, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई वित्त्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगवां	खोही	0.2468 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1472-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मैहर	घुनवारा	10.7640 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला सतना (म0प्र0)	घुनवारा बांध का निर्माण कार्य, तालाब टैंक के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1473-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगवां	बकोट	43.992 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1474-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगावां	पिण्डरा	2.5124 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगावां	चित्तौरिहा वी	18.0697 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगवां	चित्तौरिहा वी	18.0697 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-पत्र क्र. 1476-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	मझगवां	देवलहा	89.0042 हे.	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना (म0प्र0)	दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 315-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 06/अ-82/2023-24 ग्राम-खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.-93 तहसील-साईखेड़ा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बराज निर्माण ग्राम-खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.-93 तहसील-साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 3.287 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 3.287 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम - खिरैटी, तहसील-साईखेड़ा, प.ह.नं.-7

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह वल्द हरलाल किरार सा.देह	भूमि स्वामी	93	0.290
2	दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह	भूमि स्वामी	94	0.652
3	छोटेलाल पिता सुंदरलाल प्रजापति पता नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	95/1	0.271
			95/2/1	0.415
4	गिरधारी पिता तांतु कुम्हार पता नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	95/3/1	0.248
			95/4 क	
			95/3/2	0.202
			95/4 ख	
5	कैलाश पिता करनसिंह नोरिया पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	96/1	0.004
			100/1	0.120
6	मदन पिता घासीराम किरार पता नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	101/1	0.092
7	मुरारी प्रसाद पिता जमना प्रसाद ब्रा. पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	102/1	0.200
			102/2/2	0.200
8	सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरुषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा. खिरैटी साईखेड़ा	भूमि स्वामी	102/2/1	0.200
		भूमि स्वामी	102/3/1	0.393
कुल योग				3.287

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बेराज निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
5. भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 317-भू-अर्जन-2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 05/अ-82/2023-24 ग्राम-खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.-93 तहसील-साईखेड़ा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण ग्राम-खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.-93 तहसील-साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 2.242 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 2.242 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम – खिरैटी, तहसील-साईखेड़ा, प.ह.नं.-7

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गुड्डू पिता कैलाश ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	105/2	1.215
2	हल्कोरी मदन दशोदाबाई लक्ष्मीबाई पिता मुल्लू उर्फ फूलसिंह हल्केवीर घनश्याम गनेश मंगल मुन्नालाल पिता बालाराम अजय आरती पूजा पिता छोटेलाल राजू ब्रजेश कलाबाई शकुनबाई पिता नन्हेलाल जाति बाढई सा. देह	भूमि स्वामी	106/2	0.513
3	कैलाश पिता करनसिंह ढीमर सा. साईखेड़ा नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	100/3	0.304
4	राघवेन्द्र पुत्र तीरथ किरार सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	106/1	0.210
			कुल योग	2.242

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
2. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
5. भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 732-भू-अर्जन-2022

पन्ना, दिनांक 26 सितम्बर 2023

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा, कोनी, मझौली एवं डोडी (वीरान) तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अर्जित की जा रही भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12/बी-121 वर्ष 2023-24 में धारा 45(2) के तहत गठित पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरांत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम की धारा 17(2) के तहत पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22.09.2023 के उपरांत धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है।

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा, कोनी एवं मझौली तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 21 जनवरी 2022 एवं तहसील पन्ना के ग्राम डोडी (वीरान) की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को किया गया था। परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है :-

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 03 वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए।
7. किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम

- की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित/घोषित/निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा।
 9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
 12. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्ययक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 4. पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।
 6. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संस्था।
 7. यथोचित पंचायत घर।
 8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 9. जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान प्रसाधन स्थल।
 10. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
 11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
 12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
 13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
 14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
 15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
 16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र।
 17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिये अलग भूमि चिन्हित।
21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील अमानगंज के ग्राम रामपुर में शासकीय भूमि खसरा नं-60/1 का रकवा-43.820हे0 कुल रकवा-43.820हे0 केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा आवंटित की जावेगी। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत में प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू-खण्ड मौजा रामपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकान में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
24. अधिनियम की धारा-3 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 242-भू-अर्जन-2023

देवास, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

**[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]**

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी.-पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्र.-03 के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास के प्रभावित निजी भूमि में कुल 5.54 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड हैं, जो 5.54 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	143/1	निजी	सिंचित	0.4000	श्री कैलाश पिता भगवान
2	143/2	निजी	सिंचित	5.1400	श्री गोविन्द पिता कैलाश

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

सरचना	
प्रकार	एरिया
निजी कृषि भूमि	5.54

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 5.54 हे. में।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5180

हरसूद, दिनांक 10 अक्टूबर 2023

रा. प्र. क्र. 0077-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1768/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			246/1/1	0.008
			246/1/2	0.007
			244/1	0.003
			245/2	0.008
		245/1	0.001	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40,	245/3	0.003
			185/2	0.002
			182/1	0.005
			184/1/2	0.005
			184/1/3	0.002
			247/1	0.004
			248/1	0.006
			248/2	0.003
			298/5	0.002
			298/1	0.012
			297	0.003
			301	0.005
			302	0.005
			303/2	0.005
			303/3	0.001
योग निजी भूमि			20	0.090
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			244/2	0.001
			167	0.001
			300	0.001
			246/2	0.003
योग शासकीय भूमि			04	0.006
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			24	0.096

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5183

रा. प्र. क्र. 0074-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1772/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.-2347, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			182/1/1	0.004
			134/4	0.008
			135/1	0.006
			136	0.003
		137/1	0.013	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,	137/2	0.001
योग निजी भूमि			06	0.035
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			160	0.001
			175	0.013
			176	0.001
			183/10	0.007 0.015
			183/9	0.004
			182/8	0.008
			159	0.001
			134/3	0.003
योग शासकीय भूमि			08	0.053
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			14	0.088

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5186

रा. प्र. क्र. 0076-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1775/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			100/2	0.006
			115/3	0.001
योग निजी भूमि			02	0.007
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			100/1	0.004
			98	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.005
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			04	0.012

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5189

रा. प्र. क्र. 0075-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1778/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			689/2	0.001
			689/1	0.012
			677	0.008
			679/1	0.005
			675/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23	673/1	0.004
			672/1	0.002
			669/1	0.002
			668/1	0.004
			666/3	0.003
			665	0.004
			660/3	0.005
			659/3	0.001
			659/3	0.008
			317/1	0.001
			320/1	0.002
			323/2	0.004
			329/3/1	0.001
			329/3/2	0.003
			331/1	0.005
			331/2	0.005
			332/2	0.009
			333/1	0.003
			334/3	0.001
			334/2	0.002
335/1	0.002			
335/2	0.001			
336/2	0.001			
336/1	0.002			
योग निजी भूमि			28	0.105
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			678	0.001
				0.001
				0.001
			657	0.001
			656	0.003
			655	0.001
			654	0.010
651	0.001			
649	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23	650	0.001
			632	0.016
			633	0.001
			628	0.001
			627/2	0.004
			627/1	0.003
			317/3	0.007
			317/2	0.005
			320/3	0.016
			325	0.001
			333/2	0.001
			334/1	0.001
			338	0.008
			339/1	0.001
			339/2	0.004
			343	0.001
			345	0.006
			346	0.003
			349/2	0.009
			350	0.006
			351	0.006
			352	0.004
			354	0.006
			355	0.007
			250	0.001
			248	0.003
			249	0.002
			246	0.001
			244	0.003
			241/1	0.001
241/2	0.006			
240	0.004			
योग शासकीय भूमि			39	0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			67	0.267

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5192

रा. प्र. क्र. 0070-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक- 1781/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु **ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			319/4	0.018
			319/1	0.019
			309/1	0.013
			308/3	0.014
			308/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,	307/3	0.011
			33	0.005
			31	0.001
			28	0.004
			27	0.004
			26	0.005
			76	0.005
			77/1	0.015
			78/2	0.014
				0.004
			78/3	0.008
				0.001
			83/1	0.012
				0.001
			78/4	0.009
			167/1	0.006
			167/2	0.009
			167/3	0.003
			166	0.002
			176/1	0.005
			83/2	0.001
			169/1	0.026
				0.012
169/3	0.006			
169/2/1	0.011			
169/2/2	0.009			
170	0.010			
83/4	0.009			
81	0.001			
योग निजी भूमि			30	0.274
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			320/1	0.023
			321	0.015
			315	0.002
			311/2	0.020
			310	0.027
			301	0.002
46	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,	47	0.001
			49	0.046
			52/1	0.014
			52/2	0.023
			53	0.002
			57/2	0.022
			57/1	0.032
			59	0.017
				0.008
				0.010
			61	0.005
			60	0.011
			74	0.001
			75	0.055
			13/2	0.021
			84	0.001
				0.001
				0.001
			82	0.001
			171	0.001
योग शासकीय भूमि			23	0.363
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			53	0.637

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5195

रा. प्र. क्र. 0073-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1815/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			257	0.009
				0.002
			256/3	0.005
			256/1	0.002
			250/1	0.001
	250/2	0.001		

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,	215/1/1	0.009
			214/	0.009
			216/2	0.001
			217/2	0.004
			217/1	0.004
			218	0.010
			225/2	0.002
				0.005
			220/6	0.001
			220/4	0.003
			220/3	0.004
			221/2	0.004
			221/3	0.003
			111/1	0.002
			50/2	0.007
			58	0.004
			59/2/1	0.001
			59/2/2	0.001
			59/2/3	0.002
			59/1	0.005
			60	0.006
			43	0.001
			38	0.002
37	0.002			
36	0.002			
35	0.010			
योग निजी भूमि			30	0.124
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			238	0.001
			256/4	0.002
			256/5	0.001
			253	0.001
			250/4	0.009
232	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,	110/2	0.003
			110/3	0.004
			108	0.001
			50/3	0.001
			47	0.002
योग शासकीय भूमि			11	0.026
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			41	0.150

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5198

रा. प्र. क्र. 0072-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1785/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			318/1	0.005 0.008
			317	0.008 0.001
			188	0.015
			194	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25	316/1	0.001
			189	0.006
			190	0.007
			166/2	0.020
			192/1	0.002
			193	0.001
			196/2	0.003
			196/1	0.001
			253/4	0.004
			198/1	0.010
			253/3	0.001
			253/5	0.001
			237/4	0.002
			237/1	0.006
			235/1	0.001
			236/3	0.003
			235/4	0.005
			235/3	0.009
			238	0.009
			239/2	0.002
			239/1	0.006
			242	0.007
			232	0.001
			231	0.005
			230	0.007
			229/2	0.003
			229/1	0.006
			228	0.004
			225	0.004
			162/1	0.001
162/3	0.019			
163/2	0.016			
163/1	0.016			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			164/1	0.007
			167/5	0.009
				0.003
			167/4	0.001
			166/1	0.010
			166/3	0.001
			184	0.023
			318/2	0.008
			319/1	0.018
			83	0.007
			84	0.003
			82/4	0.004
			81/2	0.010
			80/2/2	0.007
			80/1/2	0.005
			79/2	0.006
			79/1	0.005
			86/2	0.003
			86/3	0.001
				0.005
			86/4	0.002
			87	0.004
			88/4	0.004
			103/4	0.001
			103/3	0.003
			103/2	0.002
			297/1	0.010
			297/2/2	0.012
			297/2/1	0.003
			297/6	0.012
योग निजी भूमि			65	0.437
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			197	0.001
			211	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25	183	0.001
			165	0.001
				0.001
			297/8	0.006
			294/2	0.001
			280	0.010
			274	0.006
			278/2	0.001
			283	0.002
योग शासकीय भूमि			10	0.031
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			75	0.468

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5201

रा. प्र. क्र. 0069-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1788/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			522/3	0.003
			522/2/1	0.007
			522/1	0.005
			521/2	0.002
		518/4/2	0.001	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39,	518/3	0.001
			518/1/2	0.006
			518/2/1/2	0.001
			519	0.009 0.008
			513/2/1	0.003 0.001
			513/2/2	0.007
			174/3	0.007
			174/2	0.002
			73/1	0.005
			155/1	0.003
			153/1	0.010
			153/3	0.002
			150/1	0.003
			150/2	0.003
			148/1	0.002
			148/2	0.003
			147/2	0.004
			146/2	0.004
			120/2	0.005 0.002
			145/1	0.004
			145/2	0.004
			141/3	0.005
			141/2	0.005
			141/1	0.004
			140/2	0.004
			140/1	0.003
			138	0.004
			137/8/2	0.004
			121	0.003
			122	0.001
120/1	0.007			
119/1	0.002			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			119/2	0.002
			119/3	0.002
			118/2/1	0.002
			118/1/1	0.002
			118/1/2	0.002
			117/2	0.006
			117/1	0.004
			116/4	0.002
योग निजी भूमि			46	0.181
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			523	0.001
			181	0.009
			184	0.013
			182	0.011
			180	0.008
				0.022
				0.006
			179	0.005
			178	0.005
			177	0.004
			175	0.001
				0.002
			276	0.002
			169	0.001
			164	0.001
			166/1	0.006
			166/3	0.013
			166/2	0.003
			158	0.003
0.001				
73/9	0.004			
73/12	0.012			
96	0.001			
174/4	0.008			
170	0.001			
165/2	0.011			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39	163/3	0.010
			159/3	0.010
			159/2	0.001
			159/1	0.010
			71	0.005
			74/8	0.005
			74/7	0.007
			74/6	0.004
			74/5	0.003
			74/4	0.009
			74/3	0.005
			75/2	0.004
			77	0.001
			68	0.020
			67	0.015
				0.005
			60	0.002
			55	0.009
			54/1	0.003
			54/2	0.003
			54/3	0.004
			57	0.006
			36	0.001
			37/3	0.021
			37/2	0.003
			38/3	0.009
			34/1	0.011
			32	0.002
			31/4	0.006
			31/5	0.001
			31/2	0.007
			29/1	0.012
26/1	0.006			
25/1	0.005			
14	0.001			
8/2	0.002			
8/4	0.002			
8/3	0.005			
11/5	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बरुड़ माल, प.ह.न.—39	11/2	0.002
			11/4	0.001
			3	0.002
			1/2	0.010
			136	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			111	0.592

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5204

रा. प्र. क्र. 0071-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1794/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			168	0.005
			167/2/2	0.002
			167/8	0.006
			167/7	0.002
			167/3	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,	167/4	0.009
			166/3	0.007
			166/4	0.008
			165/1	0.003
			165/4	0.005
			165/2	0.004
			164/4	0.005
			164/7	0.004
			163	0.016
			35/3	0.005
			35/2	0.003
			35/1	0.001
			34/2	0.002
			37/1/1	0.006
			37/1/2	0.001
			37/2	0.003
			38	0.006
			25	0.002
			26	0.009
			13	0.007
			14	0.008
			12/2	0.005
			12/1	0.002
9/1	0.005			
11	0.007			
योग निजी भूमि			30	0.151

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			178	0.001
			167/5	0.005
			24	0.001
			10	0.001
			8	0.001
			1	0.002
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			36	0.162

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5207

रा. प्र. क्र. 0102-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक- 1797/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु **ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3	0.019
				0.004
			4	0.017
				0.004
		6	0.020	
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,	7/3	0.008 0.004
			7/2	0.007 0.001
			7/1	0.009 0.002
			9/1	0.004
			8/3	0.002
			8/2	0.002
			8/1	0.003
			10/2	0.003
			10/3	0.004
			11/1	0.003
			11/2	0.003
			12/1	0.003
			12/2	0.002
			15/2	0.004
			16/2	0.006
			17/1/2	0.002
			17/2	0.006
			17/3	0.002
			17/4	0.001
			28/1	0.009
			28/3	0.001 0.007
			28/2	0.010
			23	0.007
			75/3	0.003
			75/2	0.003
			76/4	0.010
			76/1	0.011
			76/2/1	0.003
76/2/2	0.002			
77/1	0.010			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,	77/2	0.009
			137/1	0.003
			136/1	0.021
			135/2	0.008
			135/1	0.012
			129/4	0.011
			131/5	0.013
			125/3	0.002
				0.003
			122/2	0.010
			122/3	0.010
			121/1	0.023
			116	0.007
			115/2	0.003
			114/2	0.006
			113/2	0.007
			173/1/2	0.001
			173/4	0.005
			173/2	0.001
				0.009
			174/3	0.003
			173/3	0.004
			174/2	0.012
			177/1	0.010
			177/2	0.005
			178/2	0.005
			178/1	0.004
			176/1	0.004
181/1	0.008			
181/2	0.001			
	0.007			
183/3	0.004			
योग निजी भूमि			62	0.455

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.011
			27	0.001
			22	0.001
			139	0.001
			126	0.001
			180	0.001
			182	0.001
योग शासकीय भूमि			07	0.017
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			69	0.472

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5210

रा. प्र. क्र. 0097-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1800/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			81/9	0.028 0.020 0.013
			81/3	0.053 0.021
			81/4	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22,	82/1	0.010
			161/3	0.029
			161/1	0.084
			237/1	0.034
			157	0.021
			240/1	0.012
			240/3	0.037
			81/1	0.012
			83/1	0.004
			83/2	0.014
			131/1	0.014
			132/1	0.024
			132/2	0.069
			155/5	0.027
			155/8	0.035
			154/6	0.013
			154/8	0.020
			154/9	0.068
			154/10	0.003
			81/2	0.025
			119/1	0.028
			120/1	0.011
			66/1	0.024
			106/1	0.027
			64/4	0.003
			63	0.001
			56/1	0.023
			59/1	0.007
			58/1	0.016
			58/2	0.004
				0.006
				0.010
				0.003
	0.005			
	0.003			
	0.005			
योग निजी भूमि			33	0.921

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मुगल रैय्यत, प.ह.न.—22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			168	0.003
				0.003
				0.002
			158	0.005
				0.006
			240/4	0.008
			240/2	0.003
			241	0.003
			81/7	0.016
			81/8	0.019
			82/7	0.036
			151	0.003
			82/4	0.022
			82/5	0.020
			89	0.013
			90	0.026
			95	0.003
			97	0.033
				0.012
			98/3	0.025
				0.007
			96	0.015
			119/2	0.009
			118	0.041
			98/2	0.013
			101	0.014
			104	0.001
			103	0.010
			66/2	0.015
			65	0.001
			56/3	0.002
			56/2	0.002
57	0.001			
59/2	0.007			
59/3	0.002			
60	0.001			
योग शासकीय भूमि	31	0.402		
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	64	1.323		

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5213

रा. प्र. क्र. 0104-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कैंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1806/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, कैंबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			27/1	0.006
			26/1	0.027
			25/5	0.019
			25/6	0.005
		25/4	0.005	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	25/2	0.003
			24/2	0.019
			23/1/2	0.012
				0.003
			22/3	0.004
				0.012
			22/1	0.001
				0.016
			23/1/1	0.013
			23/4	0.001
			19/5	0.003
			18/3	0.007
			18/2	0.010
			19/4	0.021
			17/4	0.017
			78/3	0.026
			78/4	0.020
			82/1	0.050
			80/1	0.012
			82/2	0.011
			81/3	0.017
			199/2	0.007
			199/3	0.014
			200	0.025
			177/3	0.002
			177/1/1/1	0.019
			177/1/2	0.006
			177/1/1/2	0.009
			176/4	0.013
			176/1	0.017
170/4	0.011			
122/3	0.003			
121/2	0.010			
120/7	0.009			
123/1	0.014			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			124/3	0.013
			115/4	0.014
			115/7	0.007
			113	0.007
			112/3	0.020
			111/3	0.012
			170/3	0.001
			273/1	0.006
			272	0.018
			271	0.005
			287/3/2	0.007
				0.011
			273/2	0.001
			264/3	0.021
			264/4	0.004
			266/1/2	0.009
				0.009
				0.009
			265/1	0.040
			265/5	0.004
			290/1	0.026
			290/2	0.022
			292	0.022
			300	0.015
			301/1	0.008
			301/2	0.004
			266/1/1	0.004
			265/2	0.016
			265/3	0.004
			268	0.044
			287/2	0.034
			285/2	0.012
			285/3	0.001
			17/2	0.009
			267/1	0.002
		योग निजी भूमि	69	0.940

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			27/3	0.002
			21	0.001
				0.001
			20	0.002
			43	0.001
			171/1	0.001
			286	0.002
				0.001
			259	0.001
			260	0.002
			291	0.002
			299	0.001
योग शासकीय भूमि			10	0.017
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			79	0.957

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5216

रा. प्र. क्र. 0101-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1809/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			181/1	0.055
			181/2	0.060
			177/1	0.043
			175/4	0.052
		120/1/2	0.035	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,	120/1/3	0.030
			121	0.046
			123/1	0.026
			123/4	0.025
			128/1	0.032
			86/4	0.051
			31/1	0.021
				0.010
				0.014
			25/1	0.015
			24/2	0.001
			22/1	0.006
			32	0.033
			35/1	0.004
			35/2	0.017
			35/3	0.017
			35/12	0.014
			35/4	0.011
			36/2/3	0.006
			36/2/4	0.014
			43/1	0.009
			41/1	0.010
			40/1	0.010
			351/1	0.010
			352	0.043
			345/1	0.011
			360/5	0.001
			360/4	0.017
			369/2	0.029
			369/1	0.009
363/1	0.005			
368	0.051			
	0.025			
366/2	0.020			
385/1	0.020			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगड़खेड़ी, प.ह.न.—21,	394/2	0.011
			393/4	0.017
			393/2	0.004
			392/5	0.007
			392/4	0.008
			392/1	0.005
			390	0.002
			403	0.011
			401	0.014
			402	0.002
			391	0.001
			202/1	0.048
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगड़खेड़ी, प.ह.न.—21,,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			236	0.014
			210/4	0.003
			211/1	0.053
			210/2	0.002
			210/3	0.015
			209	0.048
			206/1	0.013
			192/2	0.003
			194	0.011
			183	0.003
			176	0.006
			128/2	0.030
			129	0.011
			98	0.003
			86/3	0.006
			86/2	0.040
			64	0.006
25/3	0.005			
24/3	0.016			
22/2	0.010			
21	0.025			
1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,	34	0.002
			35/11	0.009
			345/4	0.003
			345/5	0.005
			346	0.004
			355	0.002
			385/4	0.048
				0.004
			396	0.001
				0.001
	395	0.003		
योग शासकीय भूमि			31	0.408
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			79	1.446

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5219

रा. प्र. क्र. 0100-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1812/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			26	0.012
			28/3	0.012
			28/2	0.009
			31/3	0.002
			31/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,	119/3	0.002
			119/1	0.014
			120/1	0.010
			129	0.005
			249/1	0.025
			249/2	0.010
			248/1/1	0.029
			248/1/2	0.015
			246/1	0.002
			246/7	0.017
			246/5	0.012
			246/2	0.011
			246/3	0.009
			246/6	0.017
			246/4	0.010
			221/4	0.013
			221/3	0.016
			221/2	0.003
			196	0.016
			183/4	0.018
183/3	0.014			
योग निजी भूमि			26	0.324
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			14/2	0.004
			12/1	0.027
			16/2	0.002
			1/3	0.001
			252	0.014
			119/2	0.016
				0.002
			245	0.004
			222	0.003
220	0.010			
223	0.020			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - धनोरा, प.ह.न.-19,	224	0.001
			235	0.002
			236	0.014
			234	0.006
			233	0.046
			232	0.005
			231	0.007
			197	0.003
			195	0.005
			194	0.005
			186	0.004
			185	0.011
			184	0.002
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			49	0.538

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5222

रा. प्र. क्र. 0099-अ-59-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			239/1	0.003
			233/3	0.004
			228/3/2	0.004 0.003 0.002
			228/1/4	0.005 0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —पिपलानी, प.ह.न.—18,	228/1/2	0.005
			226/3	0.006
			228/1/3	0.006
			228/1/5	0.002
			228/1/1	0.005
			208	0.008
			210	0.009
			205	0.013
			204/2	0.009
			203/1	0.001
			203/2	0.005
			202	0.003
				0.003
			201/2	0.003
			201/4	0.001
			19/1	0.004
			20/2	0.008
			20/5	0.001
			31	0.008
			42	0.005
			25/1	0.005
			28	0.009
			43/2/2	0.001
			457/1	0.005
				0.001
			455	0.002
				0.002
			456	0.006
			253/3	0.003
			254	0.003
			255/1	0.002
			256/2	0.005
			256/1	0.003
			योग निजी भूमि	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12/1	0.026
			236	0.003
			235	0.001
			232	0.001
			227	0.001
			220	0.001
			36	0.001
			454	0.001
			255/2	0.002
			259	0.001
			281	0.002
			280	0.003
			277	0.003
			298	0.006
			299	0.001
			359	0.003
			400	0.001
			368	0.003
			366	0.001
			367	0.001
382/2	0.012			
योग शासकीय भूमि			21	0.074
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			55	0.249

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5225.

रा. प्र. क्र. 0098-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन; कॅबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक- 1818/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु **ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, कॅबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3/1	0.003
			15/3	0.051
			44/1	0.005
			48/1	0.011
		78/3	0.009	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	78/1	0.008
			78/2	0.010
			77/1	0.021
			85/10	0.003
			85/7	0.039
			141/1	0.019
			163/6	0.015
			230/2	0.020
			162/8	0.001
			162/6/2	0.001
			204/4/1	0.011
			224/1	0.023
			228/5	0.013
			228/1	0.013
				0.003
				0.003
				0.008
			228/2	0.020
				0.011
			229/1	0.006
				0.009
			226/3	0.005
				0.006
			229/2	0.007
			229/3	0.009
			236/1	0.010
			236/2	0.005
			236/3	0.008
			236/4	0.001
			242/2/1	0.004
242/2/2	0.004			
242/3	0.009			
242/4	0.006			
242/5	0.006			
230/3	0.017			
230/1	0.013			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	233/5	0.001
			233/3	0.032
			234/1	0.014
			158/8	0.005
			158/7	0.036
			158/6	0.002
			158/6	0.002
			158/10	0.006
			158/10	0.006
			158/4	0.014
			158/2	0.023
			154/2	0.015
154/1	0.004			
योग निजी भूमि			46	0.606
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.007
			2	0.067
			28	0.002
			36/2	0.064
			46	0.013
			47	0.017
			44/2	0.017
			48/2	0.013
			83	0.001
			85/6	0.039
			98	0.002
			99/2	0.019
			99/1	0.020
			100	0.004
			74	0.002
			3/2	0.044
			133/1	0.004
			141/7	0.003
			143/1	0.002
146	0.012			
147/2	0.020			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	136/2	0.004
			163/2	0.032
			195/1	0.002
			207/2	0.001
			224/2	0.010
			223/2	0.010
			222	0.006
			221/2	0.017
			243	0.002
				0.005
			225/2	0.003
			225/1	0.002
			228/4	0.006
			243	0.002
			195/2	0.002
			153	0.002
				0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			82	1.085

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5228

रा. प्र. क्र. 0105-अ-59-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1821/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -दमदमा, प.ह.न.-30, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- दमदमा, प.ह.न.- 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			67	0.030
			68	0.014
			124	0.016 0.004 0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,	120/1	0.002
				0.004
			165	0.011
			164	0.003
			163/3	0.001
			162	0.006
			173/3	0.009
			173/1	0.004
			174/1	0.020
			175/1	0.015
			157/3	0.001
			175/2/1	0.003
			156	0.013
			153/1	0.007
			152	0.004
			151/2	0.024
			151/1	0.006
			280	0.012
			150	0.013
			281/1	0.001
			283/1	0.008
			283/2	0.011
			284/2	0.001
			292	0.008
				0.009
			293/2	0.008
			294/5	0.009
			120/2	0.005
			119/1	0.006
			119/2	0.004
161/6	0.001			
159/5	0.003			
159/1	0.010			
158/1	0.001			
158/3	0.007			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— दमदमा, प.ह.नं.— 30	158/4	0.010
			136	0.015
			139	0.009
			योग निजी भूमि	39
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— दमदमा, प.ह.नं.— 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			60	0.001
			70	0.002
			127	0.001
				0.001
			173/2	0.001
			155	0.013
			148	0.002
			282	0.004
			285	0.002
			291	0.004
			131	0.001
योग शासकीय भूमि			10	0.032
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			49	0.382

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5231

रा. प्र. क्र. 0092-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1824/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -निशानिया, प.ह.न.-36, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			15/1	0.006
			310/1	0.004
			311/1	0.001
			311/2	0.008
			324/3	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— निशानिया, प.ह.नं.— 36,	324/1/2	0.006
			323	0.004
			321/1	0.019
			318	0.026
			345	0.007
			344/2	0.014
			343	0.011
			342	0.003
			342	0.008
			355/4	0.007
			355/3	0.011
			355/2	0.001
			370/2/1	0.006
			370/3	0.006
			368/2	0.015
			423/1	0.006
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— निशानिया, प.ह.नं.— 36,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			326	0.001
			377	0.001
			395	0.010
योग शासकीय भूमि			03	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			23	0.203

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5234

रा. प्र. क्र. 0091-अ-59-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1827/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रामजीपुरा, प.ह.न.-31, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.न.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			23	0.003
			24	0.006
			26	0.008
			47/1	0.010
		221	0.005	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31	222	0.004
			224/1	0.002
			224/2	0.006
			226	0.002
			229	0.010
			233	0.008
			232/2	0.004
			9/1	0.010
			10/3	0.010
			10/1	0.006
				0.005
			13/1/1	0.003
			13/1/2	0.001
			13/5	0.006
			13/2/1	0.003
			13/2/2	0.001
			13/7	0.008
			13/6	0.002
			8/2	0.004
			198	0.006
			193	0.003
			192/1	0.017
			220/1	0.005
395	0.007			
योग निजी भूमि			28	0.165
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109/2	0.004
			225	0.002
			228	0.001
			230	0.001
			3	0.001
			401	0.004
योग शासकीय भूमि			06	0.013
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			34	0.178

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5237

रा. प्र. क्र. 0093-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1830/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बम्हदड़ माल, प.ह.न.-27, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.न.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			35/4	0.100
			59/1/1	0.065
			66	0.032
			64/4	0.053
		134/5	0.008	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27	134/4	0.007
			136/2	0.040
			179/4	0.045
			179/3	0.057
			174/1/2	0.018
			174/1/1	0.011
			174/2	0.032
			175	0.076
			168	0.009
			167/2	0.029
			167/1	0.017
			166/1/1	0.031
			166/2	0.008
			237	0.036
योग निजी भूमि			19	0.674
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			34	0.003
			122	0.020
योग शासकीय भूमि			02	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			21	0.697

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5240

रा. प्र. क्र. 0090-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1836/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -डोटखेड़ा, प.ह.न.-38, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.न.- 38	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			1	0.007 0.004
			2/1/1/2	0.004
			2/1/2/3	0.005
			191/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38	203/2	0.006
			203/3	0.006
योग निजी भूमि			06	0.035
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			15	0.018
			191/1	0.025
0.018				
योग शासकीय भूमि			02	0.061
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			08	0.096

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5243

रा. प्र. क्र. 0082-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक- 1839/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी. सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु **ग्राम -बोरीसराय, प.ह.न.-32, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			15/1	0.019
			3/1	0.013
			7/4/2	0.009
			7/5	0.007
		6	0.013	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32,	5/2	0.002
			410	0.016
			28/1	0.003
			28/2	0.012
				0.006
			29/2	0.023
			263/2	0.006
			263/2	0.006
			264/1	0.002
			264/2	0.002
			265/1	0.005
			265/2	0.001
			272/1	0.001
				0.008
			275/3	0.007
			175/2	0.001
			287	0.001
			286	0.001
			284	0.008
			282/1	0.006
			57/4	0.008
			52/2	0.001
			56	0.001
			52/1	0.010
			53/2	0.001
			53/3	0.014
			49	0.007
			41/1	0.002
			41/2	0.005
			42	0.005
46/4/1	0.009			
128/1	0.002			
205	0.010			
204/2	0.002			
204/1	0.003			
	0.008			
196/1	0.009			
196/2	0.012			
181/2	0.008			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32	178	0.008
			177/2	0.007
			176	0.002
			175/1	0.002
			175/2	0.001
			174/2	0.001
			174/1	0.002
			173/5	0.003
			173/1	0.004
			57/1	0.017
			59/1	0.019
			60/1	0.014
			60/2	0.001
			67/4	0.014
			74/3	0.001
			74/2	0.009
			70/2	0.002
				0.006
			69/1	0.013
				0.014
			69/2	0.021
			69/3	0.003
			85/3	0.023
			85/1	0.001
			98/1	0.014
			97/1	0.011
			97/2	0.003
			96/1	0.005
			96/3	0.007
			96/2	0.006
				0.002
			95	0.005
	0.002			
94	0.005			
112	0.006			
67/6	0.005			
67/3	0.008			
67/5	0.007			
68	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32	65/2	0.004
			65/1	0.006
			89/1	0.006
			89/2	0.012
			96/2	0.005
			111/1	0.005
			108	0.005
			109	0.008
			116/1	0.019
			116/3	0.012
			116/2	0.006
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			16	0.002
			2	0.001
			4	0.001
			27	0.002
			266	0.001
			279	0.001
			45	0.007
			44	0.012
			54	0.001
			101	0.001
			202	0.001
			201	0.002
			200	0.001
			58	0.001
			83	0.001
90	0.001			
101	0.001			
115	0.001			
योग शासकीय भूमि			18	0.038
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			105	0.699

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5246

रा. प्र. क्र. 0089-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1845/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -तोरन्या रै., प.ह.न.-34, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.न.- 34	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			27/3	0.002
			27/1	0.002
			26/3	0.006
			26/2	0.007
			26/1	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	25/1	0.007
			25/3	0.004
			22/1	0.003
			24/2	0.010
			20/2	0.011
			20/1	0.011
			56	0.033
			227/5	0.005
			230/1	0.004
			230/2	0.009
			229	0.009
			228/2	0.004
			228/4	0.001
			228/1	0.008
			233/1	0.002
			219/2	0.006
			236/1	0.001
			235/2	0.008
			235/1	0.008
			235/3	0.003
			262/2	0.002
				0.008
			268/3	0.005
			336/5	0.002
			339/1	0.008
			333/1	0.002
			333/2	0.002
			333/3	0.002
			333/4	0.004
			331	0.006
			330	0.006
			328/2	0.015
261	0.008			
265/1	0.010			
268/1	0.001			
268/2	0.013			
288/1	0.014			
288/2	0.005			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	287/1/1	0.002
			287/1/2	0.009
			286	0.008
			315/1	0.012
			312/5	0.010
			359/2	0.005
			337	0.011
			332	0.009
			338/4	0.003
			338/1	0.003
			338/2	0.004
			338/3	0.005
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.004
			50	0.001
			52	0.005
			57	0.001
			234	0.001
			256	0.001
			263	0.001
			276	0.001
			314	0.001
			316	0.001
			329	0.001
योग शासकीय भूमि			11	0.018
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			65	0.380

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5249

रा. प्र. क्र. 0095-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1848/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -छिपीपुरा, प.ह.न.-33, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.न.- 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			197	0.023
			194	0.004
			193/2/1	0.007
			193/2/2	0.007
		193/2/3	0.003	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33	193/1/2	0.004
			192/1/2	0.012
			189/2	0.003
			190/3	0.004
			190/2	0.003
			191/1	0.003
				0.001
			191/2	0.006
			178/2	0.006
			178/1	0.007
			177/3	0.003
			174	0.001
			172/1	0.002
			172/2	0.008
			173/2	0.010
			169/1	0.005
			169/2	0.011
			1	0.006
			3/5/2	0.005
3/6/1	0.001			
योग निजी भूमि			24	0.145
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			196	0.005
			195	0.001
			175	0.001
			2	0.001
			135	0.001
योग शासकीय भूमि			05	0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			29	0.154

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5252

रा. प्र. क्र. 0096-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1851/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -शाहपुरा माल, प.ह.न.-27, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			8	0.027
			9/3	0.017
			22/1	0.016
			172	0.022
			171/4	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27	173/1	0.032
				0.008
			173/2	0.009
			182/1	0.010
			181/1/1	0.002
			174/2	0.008
			174/1	0.022
			175/2	0.020
			175/3	0.015
			175/1	0.027
			162/2	0.002
			162/1	0.014
			159/1	0.031
			138	0.082
			270	0.008
			135/1	0.023
			135/2	0.007
			288/1	0.010
			288/2/2	0.041
			295/1	0.033
			295/10	0.003
			295/2	0.003
			291	0.020
			292/1	0.006
			292/3	0.031
			292/4	0.026
			185	0.008
			187/1	0.012
			188/2	0.010
			188/1	0.010
			223	0.011
			224	0.005
187/6	0.001			
63/4	0.002			
63/3	0.010			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— शाहपुरा माल, प.ह.नं.— 27	63/5	0.007
			63/6	0.009
			61/3	0.001
			61/6	0.019
			61/5	0.008
			61/2	0.001
			58/2	0.010
			58/1	0.011
			52/3	0.004
			52/2	0.004
			52/1/1	0.004
			52/1/2	0.013
			52/1/3	0.003
			171/2	0.008
			171/1	0.007
			166	0.044
			155/1	0.009
			74/4	0.009
			74/3	0.005
			75	0.010
			78/1	0.024
			78/4	0.009
			78/3/1	0.008
			78/3/2	0.002
			103	0.003
			98	0.001
			104	0.006
99	0.004			
105	0.001			
100	0.006			
101/3	0.006			
101/4	0.014			
योग निजी भूमि			71	0.917

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— शाहपुरा माल, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12/1	0.026
			22/2	0.009
			21	0.002
			20	0.017
			18	0.002
			17	0.015
			13/2	0.003
			13/1	0.030
			13/1	0.029
			13/1	0.046
			13/1	0.016
			163	0.002
			160	0.003
			269	0.002
			137	0.004
			271	0.005
			287	0.010
			293	0.002
			190	0.001
			184	0.001
			72	0.001
			86	0.001
			169	0.001
			167	0.007
			165	0.001
			154	0.001
			110	0.002
			111	0.033
106	0.005			
योग शासकीय भूमि			29	0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			100	1.194

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5255

रा. प्र. क्र. 0084-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रामपुरी रै., प.ह.न.-35, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.न.- 35,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			348/3	0.015
			356/1	0.014
			356/2	0.011
			356/3	0.001
			365/1	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामपुरी रे., प.ह.नं.- 35,	366/7	0.006
			355	0.004
			354/1	0.009
				0.003
				0.002
				0.002
			354/2	0.009
			354/3	0.021
				0.004
			367/2	0.017
				0.003
			367/1	0.008
			371/1/2	0.004
			371/2	0.003
			370	0.007
			372/1	0.004
			373/2/1	0.002
			373/1	0.002
			374/2	0.003
			374/3	0.001
			375/2	0.003
			143/2	0.006
			374/1	0.001
			375/1	0.002
			329/5	0.004
			329/4	0.003
			329/3	0.003
			329/2/1	0.001
			376/2	0.002
			376/1	0.002
				0.001
			377	0.004
326/1	0.003			
378/1	0.001			
385/5	0.004			
	0.004			
385/4	0.009			
386	0.005			
342/3	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— रामपुरी रे., प.ह.नं.— 35,	342/1	0.004
			343	0.009
			342/2/1	0.003
			342/2/2	0.003
			341/4/1/1	0.003
			151/2/1	0.007
			150/1	0.005
			145/2	0.006
			145/3	0.010
			143/1	0.003
			159/2	0.003
			159/1	0.001
			160	0.007
			161	0.005 0.007
			162/2	0.003
			162/1	0.003
			166/2	0.006
			167	0.009
			261/1/1	0.001
			260/1	0.014
			233	0.005
			234/3	0.001
			234/1	0.003 0.001
236/1	0.002			
236/2	0.005			
239	0.011			
योग निजी भूमि			63	0.365
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— रामपुरी रे., प.ह.नं.— 35,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			349	0.001
			346	0.020
			352	0.002
				0.001
			362	0.030
357	0.029			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.नं.- 35	395	0.001
			353	0.008
			258	0.001
			238	0.003
योग शासकीय भूमि			09	0.096
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			72	0.461

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5258

रा. प्र. क्र. 0081-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1857/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -हथनौरा रैय्यत, प.ह.न.-22, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			340/1	0.054
			311/1	0.015
			312/1	0.047
			312/2	0.030
		278/1	0.035	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22	278/2	0.005
			278/3	0.006
			279/2	0.008
			279/3	0.005
			287	0.016
			284	0.076
			283/1	0.015
			282/1	0.006
			282/2	0.047
			211/1/2	0.023
			211/1/1/2	0.012
			216/3	0.058
			211/1/1/1	0.062
			216/4	0.012
			216/1	0.004
			216/10	0.016
			214/3	0.009
			219/2/1	0.003
			219/2/2	0.021
			57/1	0.033
			234	0.012
			232/3	0.065
			232/1	0.046
232/2	0.031			
236	0.082			
योग निजी भूमि			30	0.854
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			151/1	0.014
			151/2	0.012
			339	0.030
			340/2	0.016
			338/1	0.009
			326	0.006
330	0.060			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22	331	0.008
			309/2	0.023
			309/3	0.039
			314	0.112
			273	0.002
			280	0.004
			208	0.001
			216/6	0.003
			216/5	0.001
			217	0.021
			215/3	0.031
			219/5	0.013
			58/4	0.005
			57/2	0.073
			57/3	0.007
			3	0.001
			235	0.001
			233	0.001
योग शासकीय भूमि			25	0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			55	1.347

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5261

रा. प्र. क्र. 0080-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1860/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धारुखेड़ी, प.ह.न.-33, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			9/1	0.004
			9/2	0.028
			9/4	0.008
			62	0.011 0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	5/3	0.023
			9/3	0.006
			140/2	0.001
			140/6	0.008
			140/9	0.004
			140/7	0.002
			140/5	0.005
			140/8	0.005
			140/1	0.011
			139	0.031
			209/1	0.004
			137/2	0.002
			137/1	0.018
			163/3	0.010
			163/4	0.005
			163/2	0.004
			163/1	0.009
			162/5	0.016
			162/1	0.004
			162/3	0.006
			167/3	0.007
				0.017
			170/1/1	0.005
				0.007
				0.016
			169/2	0.021
			179/1	0.016
			179/3	0.018
179/2/1	0.012			
179/2/2	0.011			
179/2/3	0.011			
197/1/2	0.012			
181	0.020			
	0.018			
183/1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33	183/2	0.009
			184	0.004
			170/1/2	0.002 0.009
			170/2	0.004
			171	0.005
			176	0.011
			173/1	0.011
			169/1	0.022
			196/1	0.010
			197/1/1	0.002
			206/3	0.012
			206/1	0.012
			209/2	0.003
			209/3	0.003
			210/1	0.004
			211/1	0.004
			423/3	0.016
			425/1	0.006
			431/3	0.012
			425/2	0.010
			432/1	0.017
			420/1	0.001
			406	0.024
			360	0.008
			408/1	0.001
			403/2	0.001
			405/2	0.004 0.003 0.005
			405/1	0.009
			404/2	0.004
			366	0.004
365	0.003			
327/2	0.009			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	363	0.001
			362	0.005
			359/2	0.005
			361	0.005
			368/1	0.008
			327/4	0.005
			326/1	0.003
			326/2	0.003
				0.005
			320/1	0.010
			319/1	0.001
			320/4	0.010
			319/4	0.008
			404/2	0.004
			404/1	0.003
			400/3	0.002
			400/1	0.001
			400/2	0.004
			398/2	0.001
			398/3	0.003
			398/4	0.003
			392	0.002
			454/6	0.001
			454/1	0.001
			454/5	0.001
			454/7	0.003
			454/3	0.006
			456	0.005
			408/2	0.001
			461/2	0.006
466	0.009			
470/2	0.003			
योग निजी भूमि			98	0.828

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12	0.001
			51	0.002
			160	0.002
			162/2	0.007
			166	0.001
			174	0.002
			193/1	0.001
			208	0.002
			212	0.001
			422/2	0.001
			357/1	0.001
			452	0.001
			465	0.001
योग शासकीय भूमि			13	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			111	0.851

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5264

रा. प्र. क्र. 0113-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1863/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -छापाकुण्ड, प.ह.न.-30, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छापाकुण्ड, प.ह.न.- 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			301/5	0.009
			301/3	0.001
			308/1/2	0.002
			235/2	0.010
			235/1	0.007 0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छापाकुण्ड, प.ह.नं.— 30,	233	0.009
			232/2	0.008
			232/1	0.001
				0.005
			229/1	0.002
				0.005
			229/2	0.005
				0.001
			228	0.002
			107/1	0.007
			108	0.006
			114	0.001
			166	0.004
			165	0.003
167	0.005			
168	0.003			
योग निजी भूमि			18	0.097
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छापाकुण्ड, प.ह.नं.— 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			272	0.002
			306	0.010
			307	0.001
			328	0.001
			247	0.003
			246	0.011
			245	0.001
			236	0.002
			99	0.001
115	0.001			
योग शासकीय भूमि			10	0.033
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			28	0.130

प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5267

रा. प्र. क्र. 0114-अ-59-2022-23

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1866/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बोथिया कलां, प.ह.न.-29, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.न.- 29	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			2/3	0.006
			7/3/2	0.005
			7/3/1	0.003
			7/2/1	0.004
		5/3	0.005	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29	5/2/2	0.001
			5/1	0.005
			3/3	0.001
			5/2/1	0.001
योग निजी भूमि			09	0.031
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			--	--
योग शासकीय भूमि			--	--
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			09	0.031

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).